र्व शिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

(२००२-०७)

एवं

वार्षिक कार्ययोजना एवं

बजट

(२००३-०४)

जनपद-जौनपुर

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की रूपरेखा	01–09
2.	शैक्षिक परिदृष्य	10–25
3.	नियोजन प्रक्रिया	26–39
4.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	40–44
5.	समस्याएं एवं रणनीति	45–47
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार (नवीन विद्यालय)	48–51
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार (ई.जी.एस./ए.आई.ई.)	52–61
8.	ठहराव में वृद्धि	62–84
9.	प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता के लिए नियोजन	185–104
10.	परियोजना प्रबन्धन एवं अनुश्रवण	105–126
11.	परियोजना लागत	127–132
12.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	133–134

अध्याय 1

जनपद जौनपुर की रूपरेखा

1. भौगोलिक चित्रण

जनपद जौनपुर उ0प्र0 के पूर्वांचल में अवस्थित है। इस भूभाग 25.24 और 26.12 उत्तरी अक्षांश तथा 82.7 और 83.5 पूर्वी देशान्तर के मध्य है। इस जनपद के उत्तर पश्चिम में सुल्तानपुर व प्रतापगढ़, दक्षिण पश्चिम में इलाहाबाद, दक्षिण में सन्त रविदास नगर (भदोही) दक्षिण में वाराणसी, पूरब में गाजीपुर और उत्तर पूरब में आजमगढ़ जनपद है। जनपद जौनपुर की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 85 कि0मी0 तथा लम्बाई पश्चिम से पूरब 90 कि0मी0 है। यह जनपद समुद्र तल से 200 फुट से 261 फुट तक ऊँचाई पर बस है।

जनपद जौनपुर का कुल भौगोलिक क्षेत्र 3602.6 कि0मी0 वर्ग है। जो प्रदेश के क्षेत्रफल का 1.2 प्रतिशत है। भूराजस्व अभिलेखानुसार वर्ष 93–94 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 399713 हे0 है। जनपद का सम्पूर्ण भू–भाग समतल है। केवल नदी घाटियों का ही कुछ भू–भाग असमतल है। जनपद में सतत प्रवाहशील नदियाँ गोमती और सई हैं। अन्य छोटी नदियाँ तरूणा, बसुही और पीली आदि सुखे के दिनों में सूख कर और वर्षा के दिनों में बाढ़ग्रस्त होकर जनपद की भौगोलिक व आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त मांगुर व गांगी छोटी नदियाँ है।

जनपद का उत्तरी क्षेत्र जो गोमती नदी के उत्तर में अवस्थित है, का क्षेत्रफल अधिक है। गोमती व सई के मध्य का भाग, व बसुही एवं तरूणा नदी के मध्य का भाग सांकरी पट्टी वाला भूखण्ड है। जनपद की भूमि मुख्यतः बलुई, दोमट भूमि ऊसर तथा मटियार है। वर्ष 95 का औसत न्यूनतम तापमान 4.4 तथा उच्चतम तापमान 47.0 डि0सेंग्रे0 के मध्य रहा है। वर्ष 95–96 में औसत सामान्य वर्षा 987 मि0मी0 और वास्तविक वर्षा 553.1 मि0मी0 हुई।

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जनपद जौनपुर की भूमि यमदग्नि ऋषि की तपोभूमि के नाम से भी जानी जाती है। उस समय यह अयोध्या राज्य के अन्तर्गत था, और इसे अयोध्यापुरम् कहा जाता था। इस जनपद में सर्व प्रथम रघुवंशी क्षत्रियों का आगमन हुआ। बनारस के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अयोध्या के राजा देवकुमार के साथ करके अपने राज्य का कुछ भाग दहेज में दे दिया, जिससे डोभी क्षेत्र के रघुवंशी आवाद हुए। ग्यारहवीं सदी में कन्नौज के गहरवार राजपूतों ने जफराबाद और यौनापुर या जवनपुर (जौनपुर) को समृद्ध एवं सुन्दर बनाने में अपना योगदान दिया।

1194 ई0 में कुतुबुद्दीन ऐवक ने मनदेव या मनदेय (जफरावाद) पर आक्रमण कर तत्कालीन राजा उदयपाल को पराजित किया। 1389 ई0 में फिरोजशाह का पुत्र महमूदशाह गद्दी पर बैठा। उसने सरवर ख्वाजा को मंत्री बनाया और बाद में 1393 ई0 में मलिक उसशर्क उपाधि देकर कन्नौज से बिहार तक का क्षेत्र उसे सौंप दिया। मलिक उसशर्क की मृत्यु 1398 ई0 में हो गयी। इसके बाद जौनपुर की गद्दी पर उसका दत्तक पुत्र सैयद मुबारक शाह बैठा। उसके बाद उसका छोटा भाई इब्राहिमशाह गद्दी पर बैठा।

1484–1225 ई0 तक जौनपुर की गद्दी पर लोदी वंश का आधिपत्य रहा। 1526 ई0 में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद बाबर के पुत्र हुमायूँ ने जौनपुर के शासक को परास्त किया। 1556 ई0 में हुमायूँ की मृत्यु के बाद 18 वर्षीय पुत्र जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर हुमायूँ का उत्तराधिकारी बना।

डेढ़ शताब्दी बाद तक मुगल सल्तनत का अंग रहने के बाद 1722ई0 में जौनपुर को अवध के नवाब को सौंप दिया गया। 1775 ई0 बनारस के साथ जौनपुर भी अंग्रेजों के हाथ में आ गया। 1775 से 1788 तक यह बनारस राज्य के अधीन रहा, और बाद में रेजीडेण्टडेकना के आथ में रहा। 1818 ई0 में यह सर्वप्रथम डिप्टी कलेक्ट्री और बाद में

अलग जिला बना। 1857 ई0 में स्वतंत्रता की लड़ाई में जौनपुर का विशेष योगदान रहा है। ग्राम सोनारपुर में मई 1858 ई0 में अंग्रेजों द्वारा 21 देशभक्तों को आम के बगीचें में लटका कर फाँसी दे दी गयी। सन् 1929 ई0 में दूसरे विश्वयुद्ध के विरोध में जौनपुर के 750 लोगों ने गिरफ्तारी दी। भारत छोड़ों आन्दोलन का विगुल बजने पर यहाँ के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जुलूस निकाला, जिस पर पुलिस द्वारा लाठी चाज किया गया, तथा गोलियाँ भी चलाई गयी थी।

जनपद की प्राचीन ईमारतों में अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद एवं बडी मस्जिद दर्शनीय है। अटाला मस्जिद की नींव 1393 ई0 में फिरोज शाह ने डाली, जिसे 1408 ई0 में इब्राहिमशाह ने पूरा किया। जामा मस्जिद व बड़ी मस्जिद की नींव इब्राहिमशाह ने डाली तथा निर्माण कार्य हुसेनशाह ने पूरा कराया। यहाँ का किला एवं शाही पुल प्राचीन धरोहर है। शाहीपुल का निर्माण अकबर के ही शासन काल में हुआ था।

जनपद जौनपुर धार्मिक दृष्टिकोण से भी पीछे नहीं है। यहाँ सिद्धपीठ माता शीतला का मन्दिर है। यह मन्दिर शीतला चौकिया धाम के नाम से जाना जाता है। जहाँ प्रत्येक सोमवार को जनपद एवं पड़ोसी जनपदों में श्रद्धालु दर्शनार्थ एकत्र होते हैं। प्रत्येक वर्ष आश्विन एवं चैत्र मास में नवरात्रि के अवसर पर दर्शनार्थियों की भारी भीड़ एकत्र होती है। इसके अतिरिक्त जनपद के विभिन्न अंचलों में देव व देवियों के मन्दिर हैं। त्रिलोचन महादेव वि0क्षेत्र जलालपुर में, दियावा महादेव मछलीशहर विकास क्षेत्र में, तथा जनपद मुख्यालय पर गैहर देवी का मन्दिर प्रसिद्ध है।

3. *प्रशासनिक व्यवस्था*

प्रशासनिक दृष्टि से जनपद जौनपुर को 6 तहसीलों में तथा 21 विकासखण्डों में विभाजित किया गया है। सदर तहसील जौनपुर में पाँच विकास क्षेत्र– धर्मापुर, सिकरारा, बक्शा, करंजाकला तथा सिरकोनी एवं नगरपालिका जौनपुर व टाउन एरिया जफराबाद है। तहसील शाहगंज में विकास क्षेत्र–शाहगंज, खुटहन तथा सूइथाकला एवं

नगरपालिका शाहगंज तथा टाउन एरिया खेतासराय हैं। तहसील बदलापुर सबसे छोटी तहसील है। जिनमें मात्र दो विकास क्षेत्र–बदलापुर व महराजगंज हैं। तहसील मछलीशहर में विकास खण्ड–मछलीशहर, सुजानगंज और मुँगराबादशाहपुर एवं नगरपालिका मुँगराबादशाहपुर और टाउन एरिया मछलीशहर सम्मिलित है । मड़ियाहूँ तहसील में चार विकास खण्ड–मड़ियाहूँ, रामनगर, बरसठी व रामपुर एवं टाउन एरिया मड़ियाहूँ है। छठवीं तहसील केराकत में भी चार विकास खण्ड–केराकत, डोभी, मुफ्तीगंज व जलालपुर एवं टाउन एरिया केराकत सम्मिलित है।

जनपद में कुल ग्राम पंचायतें 1517 एवं न्यायपंचायतें 218 हैं। कुल आबाद गांवों की संख्या 3269 है, तथा बस्तियों की संख्या 4542 है। सारणी संख्या–1 में इसका विवरण अंकित है।

सारणी सं0-1.1

प्रशासनिक–ढाँचा

ग्रामीण क्षेत्र	संख्या
तहसील	6
विकास खण्ड	21
न्याय पंचायत	218
ग्राम पंचायत	1517
राजस्व ग्राम	3269
बस्तियों की संख्या	6418
नगर क्षेत्र	
नगर निगम	–
नगर महापालिका	–
नगर पालिका	03
टाउन एरिया	05
वार्ड	136

स्रोत–जिला सांख्यिकी पत्रिका जौनपुर–1995

जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था संचालन के लिए जिलाधिकारी, तहसील स्पर पर उप जिलाधिकारी व तहसीलदार की नियुक्ति की गयी है, जबकि विकास कार्यों के लिए जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। शिक्षा व्यवस्था संचालन के लिए जिले स्तर माध्यमिक शिक्षा के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक, प्राथमिक शिक्षा हेतु जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (विशेषज्ञ डी0पी0ई0पी0 योजना) तीन उप–बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड स्तर पर 21 सहायता बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा 10 प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की व्यवस्था की गयी है।

4. *जनसंख्या*

जनगणना 1991 के अनुसार जनपद जौनपुर की कुल आबादी 32.14 लाख में से पुरूषों की संख्या 16.12 लाख तथा महिलाओं की संख्या 16.02 लाख हैं लिंग अनुपात 1000 पुरूष पर स्त्रियों की संख्या 994 है, जबकि सम्पूर्ण राज्य के परिपेक्ष्य में महिलाओं की संख्या 879 हैं इस प्रकार लिंग अनुपात में पर्याप्त विभिन्नता है। नगर क्षेत्र की जनसंख्या 2.21 लाख है, जो सम्पूर्ण जनपद की 688 प्रतिशत है। जनपद में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या 7.00 लाख है जो जनपद की सम्पूण जनसंख्या की 21.77 प्रतिशत है। जनपद में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या नगण्य है। अनुसूचित जाति की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। सम्पूर्ण जनसंख्या का 9.74 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है। जनपद की जनसंख्या घनत्व 800 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि0मी0 है। जबकि राज्य का घनत्व 473 व्यक्ति प्रतिप्रति कि0मी0 है। इससे स्पष्ट है कि विद्यालयों में बच्चों की संख्या भी उन जनपदों से अपेक्षाकृत अधिक होगी जहाँ पर आबादी का घनत्व कम है। अतः छात्र संख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विद्यालयों में अधिक स्थान की आवश्यकता होगी– 1.2 में जनपद जौनपुर की आबादी का स्पष्ट चित्रण किया गया है।

सारणी संख्या-1.2

जनसंख्या–जनपद–जौनपुर

क्र0सं	मद	जनसंख्या 1999	अनुमानित 2001
1	सम्पूर्ण जनसंख्या (लाख मे)	32.14	39.11
2	ग्रामीण जनसंख्या (लाख में)	29.93	36.42
3	नगरीय जनसंख्या (लाख में)	02.21	2.69
4.	जनसंख्या वृद्धि दर (1981–91)	27.00	21.69
5	महिला पुरूष अनुपात	994:1000	1021:1000
6	अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत	21.77	26.48
7	मुस्लिम आवादी प्रतिशत	09.74	11.84
8	जनसंख्या घनत्व (प्रति/कि0मी0 एस्क्वायर)	800	973
9	साक्षरता प्रतिशत	42.2	49.98

स्रोत –जनगणना 1991

वर्ष 2001 की जनगणना के ब्लाकवार आंकड़े उपलब्ध नही है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ब्लाकवार जनसंख्या सारणी संख्या 1.3 द्वारा दर्शाया गया है–

सारणी सं0-1.3

ब्लाकवार जनसंख्याः जनपद–जौनपुर

क्र.सं.	वि0ख0 का नाम	कुल जनसंख्या 1991	पुरूष 1991	महिला 1991	2001 की अनुमानित जनसंख्या		
					कुल संख्या	पुरूष	महिला
1.	सुइथाकला	124951	63624	61327	152066	76424	75641
2.	शाहगंज	207284	104157	103128	252311	124112	127199
3.	खुटहन	15114	75841	75273	183942	91099	92843
4.	करंजाकला	161374	82033	79341	196397	98537	97860
5.	बदलापुर	165046	82973	82073	200896	99666	101230
6.	महराजगंज	116838	58251	58587	142232	69970	72262
7	बक्शा	145907	73013	72894	177611	87702	69908
8.	सुजानगंज	153393	76123	77270	186744	91438	94306
9.	मुँगराबादशाहपुर	133629	67184	66445	162655	80700	81954
10.	मछलीशहर	162701	81249	81452	198059	97595	100464
11.	मड़ियाहूँ	155199	76195	79004	188969	91524	97444
12.	बरसठी	153495	75939	77556	186875	91217	95648
13.	सिकरारा	130358	65394	64964	158678	78550	80127
14.	रामनगर	168104	84510	83594	204618	101512	103106
15.	धर्मापुर	86330	42875	43451	105094	51501	53493
16.	रामपुर	163209	83323	81886	201086	100086	100999
17.	मुफ्तीगंज	95342	45660	49682	116124	54846	61278
18.	जलालपुर	123848	61766	62082	150765	74192	76573
19.	केराकत	138251	678999	70352	168332	81559	86773
20.	डोभी	121554	59978	61576	147993	72045	75949
21.	सिरकोनी	133369	67639	65730	162319	81247	81072
योग	ग्रामीण क्षेत्र	2993295	1495638	1497667	3643764	1796524	1847240

नगर क्षेत्र–जनसंख्या

कुल जनसंख्या 1991	पुरूष 1991	महिला 1991	2001 की अनुमा. कुल	पुरूष	महिला
नगर क्षेत्र 221349	115534	105805	267741	139252	128489
महायोग (ग्रामीण+नगर) 3214636	1612164	1602472	3911505	1935776	1975729

स्रोत – जनगणना–1991, जनपद–जौनपुर

जनगणना 2001 के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 3911605 है। जिसमें पुरूषों की संख्या 1935776 तथा महिलाओं की संख्या 1975729 है। उक्त जनसंख्या में लिंग अनुपात 1021 महिलाएं प्रति हजार पुरूष हैं

5. *सामाजिक, अर्थिक परिदृश्य–*

उपरोक्त विश्लेशणों से स्पष्ट हो रहा है कि जनपद जौनपुर जनपद है। इस जनपद में कृषि सं साधनों एवं तत्संबंधी सेवाओं की पर्याप्त कमी के साथ–साथ औद्योगिक अवसरों का विशेष अभाव है। जनपद के पिछड़ेपन का कारन यहाँ की सामाजिक, आर्थिक स्वरूप की विभिन्नता है। जनपद की शैक्षिक स्थिति के मूल में अविकसित एवं पिछड़ेपन का ही कुप्रभाव है। मनुष्य अपनी मूल आवश्यकताओं–भोजन, कपड़ा एवं मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य में–शिक्षा का स्थान नगण्य मानता है। ऐसी दशा में प्राथमिक शिक्षा का स्तर एवं मात्रा कम होना स्वाभाविक है।

गरीबी एवं बेरोजगारी के अभिशाप से ओत–प्रोत आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप महिलाओं को विशेष रूप से अशिक्षा एवं बेकारी के गर्त में डाल दिया है, तथा उनके जीवन स्तर को निम्न स्तर तक ला दिया है। ऐसे में बालिका/महिला शिक्षा स्तर में कमी होना स्वाभाविक है।

उपरोक्त विश्लेषणों से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि जनपद जौनपुर बड़े पैमाने

पर रोजगार एवं बेरोजगारी के मध्य पर्याप्त अन्तर वाला जनपद रहा है। असमानता एवं अशिक्षा ने एक सतत शक्ति अवरोध के रूप में व्यवधान किया । अस्तु इन विपन्नताओं का तात्कालिक उपचार किया जाना अनिवार्य है। बिना उपचार के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दलितों एवं महिलाओं को नयी जिन्दगी देना सम्भव नहीं है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापक स्तर पर नौनिहालों को निःशुल्क शिक्षा एवं संसाधनों की उपलब्धता प्रदा न करते हुए इन्हें विकास के प्रति सजग किये जाने की आवश्यकता है। ताकि वह सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवा सुविधाओं के प्रति अपनी पात्रता सिद्ध कर सकें। सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके द्वारा 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चें को प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क, गुणवत्तायुक्त जिसके द्वारा कौशल का निकास संभव है।

अध्याय-2

जनपद जौनपुर का शैक्षिक परिदृश्य

प्रथम अध्याय से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि जनपद का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर अच्छा नहीं है। जिसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा रहा है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के प्रथम सोपान के रूप में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य क्रम को देखा जाय तो यह कार्यक्रम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।।। के रूप में वर्ष 2000–01 से संचालित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनपद की प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा की पहुँच का विस्तार, बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव, शिक्षकीय गुणवत्ता में वृद्धि और प्रबन्धन क्षमता में विकास करना है। इसकी पूर्ति के लिए वर्ष 2004–05 तक प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 87 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलना, 120 जर्जर विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण करना, 324 शौचालयों का निर्माण, 424 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता सम्बर्धन हेतु विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया है। 21 ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं 218 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी है। प्राथमिक शिक्षा के साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा के विकास एवं उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा प्राथमिक शिक्षा की तीव्रतर गति प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का सुभारंभ किया गया है।

साक्षरता

जनपद की कुल साक्षरता दर जनगणना 1991 के अनुसार 42.2 प्रतिशत है, जिसमें पुरूषों की साक्षरता प्रतिशत 62.2 तथा महिलाओं की 22.3 प्रतिशत है। इसी प्रकार ग्रामीण साक्षरता 40.6 तथा नगरीय साक्षरता प्रतिशत 61.2 है जनपद की साक्षरता का विवरण सारणी संख्या 2.1 में प्रदर्शित की गई है।

सारणी संख्या-2.1

क्र0सं0	जनपद की साक्षरता दर	प्रतिशत 1991	प्रतिशत 2001 प्रोजेक्शन द्वारा
1.	कुल साक्षरता	42.2	49.98
2.	ग्रामीण साक्षरता	40.6	64.94
3.	नगरीय साक्षरता	61.2	97.90
4.	कुल पुरूष साक्षरता	62.2	77.16
5.	कुल महिला साक्षरता	22.3	43.53
6.	कुल ग्रामीण पुरूष	61.4	76.36
7.	कुल ग्रामीण महिला	20.6	4183
8.	कुल नगरीय पुरूष	73.0	83.92
9.	कुल नगरीय महिला	48.0	58.19

स्रोत–जिला सांख्यिकी हस्तपुस्तिका 1994

विकास खण्डवार साक्षरता दर

विकास खण्डवार साक्षरता दर में असमानतायें है। 12 विकास खण्डों–सुइथाकला, शाहगंज, खुटहन, करंजाकला, मुँगराबादशाहपुर, मछलीशहर, मड़ियाहूँ, सिकरारा, मुफ्तीगंज, जलालपुर और सिरकोनी की साक्षरतादर 40 प्रतिशत से कम तथा शेष 9 विकासखण्डों–बदलापुर, महराजगंज, बक्शा, सुजानगंज, बरसठी, रामनगर, रामपुर, केराकत और डोभी की साक्षरता दर 40 प्रतिशत से अधिक है। सारणी–2.2 में विकास खण्डवार साक्षरता दर प्रदर्शित की गयी है।

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि नागरीय साक्षरता दर 61.2 प्रतिशत जो ग्रामीण की 40.6 प्रतिशत की अपेक्षा काफी अधिक है। इस प्रकार पुरूष एवं महिला की साक्षरता दर में बहुत अन्तर है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार विकास खण्डवार साक्षरता दर निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित है।

सारणी संख्या-2.2

विकास खण्डवार साक्षरता दर

क्र0सं0	वि0खण्ड	साक्षरता प्रतिशत जनगणना 1991			साक्षरता प्रतिशत अनुमानित वर्ष 2001		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	सुइथाकला	55.3	20.7	38.2	63.5	25.0	44.9
2.	शाहगंज	52.8	21.1	37.0	60.6	25.5	43.5
3.	खुटहन	57.8	20.9	38.2	66.4	25.3	46.1
4.	करंजाकला	46.2	16.1	36.5	64.5	19.5	42.9
5.	बदलापुर	62.8	20.8	41.7	72.1	25.0	49.0
6.	महराजगंज	64.6	20.9	42.4	74.2	25.3	49.9
7.	बक्शा	63.6	22.3	42.9	73.0	27.0	50.4
8.	सुजानगंज	63.4	18.9	43.8	72.8	22.9	51.5
9.	मुँगराबादशाहपुर	50.1	15.5	37.8	57.5	18.7	44.4
10.	मछलीशहर	55.1	14.8	35.7	63.3	17.9	42.0
11.	मड़ियाहूँ	63.2	18.1	39.5	72.6	21.9	45.4
12.	बरसाठी	82.1	19.2	40.1	94.3	23.2	47.1
13.	सिकरारा	62.6	22.9	41.8	71.9	27.2	49.1
14.	धर्मापुर	57.3	21.2	39.5	65.8	25.6	46.4
15.	रामनगर	64.6	20.9	42.7	74.2	25.3	50.2
16.	रामपुर	60.7	19.2	40.0	69.7	23.2	47.2
17.	मुफ्तीगंज	58.2	23.8	41.0	66.8	26.8	48.2
18.	जलालपुर	69.9	28.5	44.0	80.3	34.5	51.9

19.	केराकत	66.0	26.2	44.1	75.8	31.7	51.9
20.	डोभी	64.9	25.9	45.1	74.5	31.3	43.0
21.	सिरकोनी	75.7	20.6	49.9	86.9	24.9	58.7
	सम्पूर्ण ग्रामीण	61.4	20.6	40.6	70.5	24.9	47.7
	नगरीय	73.0	48.0	61.2	83.8	58.1	72.0
	महायोग	62.2	22.3	42.2	77.16	43.43	59.98

स्रोत–एन.आई.सी., जौनपुर 1998

नोट – वर्ष 2001 की साक्षरता दर ब्लाकवार उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2001 की ब्लाकवार साक्षरता दर प्रोजेक्शन द्वारा निकाली गयी है।

जनगणना 2001 के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता 59.98 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष साक्षरता 77.16 तथा महिला साक्षरता 43.53 है।

सारणी संख्या–2.2 से स्पष्ट है कि विकास खण्ड मछलीशहर, मुँगराबादशाहपुर, सुजानगंज, मडियाहूँ, बरसठी तथा रामपुर में बालिकाओं की साक्षरता दर 20 प्रतिशत से नीचे है। अतः इन विकास खण्डों में बालिका शिक्षा बहुत न्यून है। जिसके लिए विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता है।

शैक्षिक संस्थाएं

जनपद जौनपुर में संचालित विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं का विवरण सारणी संख्या 2.3 में दर्शायी गयी है। सारणी के अनुसार कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2649 है तथा माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 17 है इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा में लगे विद्यालयों की संख्या 2666 है। जबकि उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं की कुल संख्या 683 है।

सारणी संख्या-2.3

शैक्षिक संस्थायें

क्र.सं.	संस्थायें	परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	प्रा0 विद्यालय	1984	51	2035	552	62	614	2675	113	2649	210	70	280
2.	मा.वि. से सम्बद्ध प्रा.वि.	2	–	2	12	3	15	14	3	17	–	–	–
3.	उ.प्रा.वि.	355	11	376	315	35	350	637	46	726	41	11	52
4.	मा.वि. से सम्बद्ध उ.प्रा. अनुभाग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	केन्द्रीय विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	नवोदय विद्यालय	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–
7.	हाईस्कूल	–	–	–	73	8	81	73	8	81	–	–	–
8.	इण्टरमीडिएट	–	1	1	145	9	154	145	10	155	–	–	–
9.	डिग्री कालेज	–	–	–	12	2	14	12	2	14	–	–	–
10.	स्ना. महा.वि.	–	–	–	5	4	9	5	4	9	–	–	–
11.	वि.विद्यालय	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–
12.	तकनीकी संस्था आई.टी.आई./ पालिटेक्निक	2	–	2	–	–	–	2	–	2	–	–	–
13.	कम्प्यू. शि.सं	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	आंगनबाडी केन्द्र	1369	–	1369	–	–	–	1369	–	1369	–	–	–
15.	मकतब मदरसे	–	–	–	33	5	38	33	5	38	25	8	33
16.	संस्कृत पाठ.	–	–	–	59	2	51	49	2	51	–	–	–
17.	बिक. बच्चो की शिक्षण सं.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	बाल श्रमिक वि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	डायट	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
20.	बी.आर.सी.	21	–	21	–	–	–	21	–	21	–	–	–
21.	एन.पी.आर.सी	218	–	218	–	–	–	218	–	218	–	–	–

स्रोत–विभागीय आंकड़े, 2003

प्राथमिक विद्यालय स्तर पर नामांकन

जनपद जौनपुर में डी.पी.ई.पी. तृतीय योजनान्तर्गत एम.आई.एस. सेल की स्थापना की गयी है जिसके द्वारा शैक्षिक आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण किया जाता है। यहां सेल वर्ष 2000–01 के शैक्षिक आंकड़े एकत्र किया है। इसके आधार पर जनपद जौनपुर का सम्पूर्ण नामांकन जी.ई.आर., एन.ई.आर., शिक्षक छात्र अनुपात, छात्र कक्षा अनुपात सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध है।

सारणी संख्या-2.4

जनपद जौनपुर की 6–11 आयुवर्ग की जनसंख्या एवं छात्र नामांकन 2002–03

जनसंख्या 6–11 आयु वर्ग	नामांकन कक्षा 1–5	नामांकन कक्षा 1–5 6–11 आयु वर्ग	जी.ई.आर.	एन.ई.आर.
615.0	622.72	601.50	101.25	97.80
बलिका जनसंख्या 6–11 आयुवर्ग	बालिका नामांकन कक्षा 1–5	बालिका नामांकन कक्षा 1–5 6–11 आयुवर्ग	बालिका .जी.ई.आर	बालिका एन. ई.आर
305.0	305.9	295.69	100.29	96.95

छात्र अध्यापक एवं छात्र–शिक्षण कक्ष अनुपात

छात्र अध्यापक अनुपात	छात्र शिक्षण कक्ष अनुपात
64.43 : 1	79.15 : 1

स्रोत – ई.एम.आई.एस. डी.पी.ओ. जौनपुर–2002

सारणी संख्या-2.5

राम्पूर्ण प्राथमिक विद्यालय में छात्र नामांकन
(6–11 आयु वर्ग के बच्चे, अगस्त 2003)

क्र.सं.	विकास खण्ड	कुल छात्र संख्या			अनु0 जाति की छात्र संख्या		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	सुइथाकला	12389	11348	23737	4776	4170	8946
2.	शाहगंज	26301	25587	51888	9795	9225	19020
3.	खुटहन	16081	15060	31151	4682	4281	8853
4.	करंजाकला	14844	17620	32464	4327	4321	8648
5.	बदलापुर	13827	13401	27228	4372	4049	8421
6.	महराजगंज	10719	11268	21587	4069	3480	7549
7.	बक्शा	15317	17129	32446	4502	4755	9257
8.	सुजानगंज	13500	135859	27359	4180	4020	8200
9.	मु0बादशाहपुर	12422	12512	24934	3917	3801	7718
10.	मछलीशहर	20382	17822	38204	6337	5821	12158
11.	मड़ियाहूँ	16471	13311	29782	4264	34247	7688
12.	बरसठी	13252	13859	27121	5917	5685	11602

13.	सिकरारा	11706	10586	21292	4250	3608	7858
14.	धर्मापुर	9575	9420	18995	3378	3177	6555
15.	रामनगर	13017	12085	25102	3383	3094	6477
16.	रामपुर	14564	13324	27888	4753	4008	8761
17.	मुफ्तीगंज	10132	9650	19282	3489	3422	6911
18.	जलालपुर	10892	10796	21688	3839	3743	7682
19.	केराकत	13924	13841	27765	5206	4933	10139
20.	डोभी	14743	13157	27899	5305	4696	10011
21.	सिरकोनी	12100	12252	14352	4644	4307	8951
22.	नगर क्षेत्र	14691	13378	28059	4264	4004	8268
	योग	299338	300864	600202	103589	95934	199523

स्रोत–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय)

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक सहित कुल 6753 पद स्वीकृत हैं। इनके अतिरिक्त कुल 539 शिक्षा मित्रों के पद स्वीकृत है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 1267 प्रधनानध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। सारणी संख्या–2.6 में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के स्वीकृत पद एवं कार्यरत अध्यापक संख्या दर्शायी गयी है।

सारणी संख्या-2.6

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय ग्रामीण क्षेत्र)

स्तर	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त पद 1.7.03	स्वीकृत शिक्षामित्रों की संख्या
प्राथमिक विद्यालय	6753	5259	1494	1690
उच्च प्राथमिक विद्यालय	1267	932	335	–

स्रोत– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर।

विद्यालय सुविधा/बस्तियाँ

जनपद में परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों की उपलब्धता के आधार पर सेवित एवं असेवित बस्तियों की पहचान की गयी। सारणी संख्या–2.7 में राज्य सरकार के मानक के अनुसार

असेवित बस्तियों की संख्या (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक) दर्शायी गयी है। ब्लाकवार प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता एवं आवश्यकता सारणी सं0 2.7 व 2.8 में प्रदर्शित है।

सारणी संख्या-2.7

सेवित तथा असेवित बस्तियाँ

क्र.स.	वि0खण्ड का नाम	ऐसी असेवित बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।				
		1 किमी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्धता	1–1.5 किमी. की दूरी पर विद्यालय उपलब्धता	1.5 किमी. से अधिक दूरी पर विद्यालय की उपलब्धता	प्रस्तावित नवीन प्राथमिक विद्यालय	मानक के अनुसार अतिरिक्त उ.प्रा.वि. की आवश्य.
1.	सुइथाकला	180	89			12
2.	शाहगंज	196	106			8
3.	खुटहन	172	103			19
4.	करंजाकला	204	101			16
5.	बदलापुर	188	85			7
6.	गहरागंज	180	88			12
7.	बक्शा	205	88			15
8.	सुजानगंज	190	103			2
9.	मुंगराबादशापुर	176	97			19
10.	मछलीशहर	208	107			13
11.	मड़ियाहूँ	211	101			12
12.	बरसठी	176	100			17
13.	सिकरारा	199	96			—
14.	धर्मापुर	170	48			—
15.	रामनगर	184	92			6
16.	रामपुर	190	103			6
17.	मुफ्तीगंज	176	84			10
18.	जलालपुर	182	91			8
19.	केराकत	192	99			9
20.	डोभी	189	100			6
21.	सिरकोनी	181	100			9
	योग ग्रामीण	3951	1983			206
	नगरीय	—	—			—
	महायोग	3951	1983			206

स्रोत– विभागीय आंकड़े।

सारणी संख्या-2.8

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

आबादी विस्तार	1 किमी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्धता	1 किमी. से अधिक किन्तु 1.5 किमी. से कम पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी. से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित ई.जी.एस. संख्या
ऐसे ग्रामों की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक	3951	1985		
ऐसे ग्रामों की सं0 जिनकी आबादी 300 से कम है।	157	108	217	217

स्रोत – विभागीय आंकडे।

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

आबादी विस्तार	3 किमी. से कम दूरी पर उ0प्रा0वि0 की सुविधा	3 किमी. से अधिक दूरी पर उ0प्रा0वि0 की सुविधा	उ0प्र0 विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य मानक के अनुसार
ग्रामों/बस्तियों की सं0 जिनकी आबादी 800 से अधिक है	3295		
बस्तियों की सं0 जिनकी आबादी 800 से कम है	3079	44	?

जनपद में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता का आंकलन निम्न प्रकार से किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना डी.पी.ई.पी.–।।। के अन्तर्गत 2000–01 में 40 तथा 2001–02 में 48 प्रस्तावित थी। सर्व शिक्षा के अन्तर्गत 2002–03 37 विद्यालय खोले गये है इस प्रकार 206 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु ऐसे प्राथमिक विद्यालय को उच्चीकृत करना है जिनका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	विवरण	ग्रामीण	नगरीय
1.	वर्तमान प्रा0वि0 (परि0–राज0)	1984	51
2.	प्रस्तावित प्रा0वि0		–
3.	मानक के अनुसार उ0प्रा0 वि0 की आवश्यकता	657	–
4.	वर्तमान में उपलब्ध उ0प्र0वि0 (परिषदीय)	314	11
5.	उ0प्रा0वि0 की आवश्यकता/प्रस्तावित	206	–

राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जनपद से 206 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है इसकी पूर्ति प्राथमिक विद्यालय को उच्चीकृत करके किया जायेगा।

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें

परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का विवरण सारणी सं0 2.8 में प्रदर्शित है।

सारणी सं0 2.9

कक्षा कक्षों के आधार पर विद्यायों का वर्गीकरण (परिषदीय)

क्र.सं.	कक्षों का वर्गीकरण	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0
1.	विद्यालयों की संख्या	2027	325
	क–एक कक्षीय वि0	12	00
	ख– दो कक्षीय वि0	1478	19
	ग–तीन कक्षीय वि0	406	32
	घ–चार कक्षीय वि0	144	103
	ङ–पाँच कक्षीय वि0	61	14
	च– पाँच से अधिक कक्ष वाले वि0	25	09
	छ– जर्जर/भवन विहीन	193	40

2.	मरम्मत योग्य		
	क– लघु मरम्मत	302	35
	ख–बृहद मरम्मत	308	27
3.	चहारदीवारी विहीन	1911	242
4.	शौचालय विहीन	1215	171
5.	हैण्डपम्प विहीन	184	26

स्रोत–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर, 2003

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/माँग

जनपद में वर्तमान समय में भौतिक सुविधाओं की जो कमियाँ है, तथा उनकी कमी की कहाँ से पूर्ति की जा रही है, तथा कितने की माँग सर्व शिक्षा अभियान में की जार रही है इसका विवरण सारणी संख्या–2.10 में प्रदर्शित है।

सारणी संख्या-2.10

भौतिक सुविधाओं की माँग

क्र.सं.	आईटम सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	डीपीईपी–तृतीय / 11वें वि.आयोग में प्राथमिक विद्यालय में प्राविधानित / जि.यो. / अन्य श्रोत	माँग	कमी	डीपीईपी–तृतीय / 11वें वि.आयोग में प्राथमिक विद्यालय में प्राविधानित / जि.यो. / अन्य श्रोत	माँग
1.	नवीन विद्यालय			–	–	–	–
2.	विद्यालय पुनःनिर्माण	–	–	–	–	–	–
3.	अतिरिक्त कक्षाकक्ष प्रति शिक्षक / कक्षा कक्ष एवं नामांकन में वृद्धि के आधार पर	8536	–	8536	–	–	–

4.	पेयजल सुविधा	184	–	–	26	–	–
5.	शौचालय	1215	372	843	184	–	184
6.	चहारदीवारी वर्तमान विद्या	1911	–	1911	242	–	242
	चहारदीवारी डी.पी.ई.पी. द्वारा नवीन प्रा.वि.हेतु	–	–	–	–	–	–

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़े व महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स

जनपद जौनपुर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ई.एम.आई. एस. ईकाई सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। वर्ष 2000–01 के शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त विभागीय आंकड़े संग्रह किये गये है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षो की कक्षावार छात्र नामांकन निम्नलिखित है:–

सारणी सं0–2.11

6–11 आयु वर्ग के प्राथमिक विद्यालय में कक्षावार नामांकन (हजार में)

कक्षा	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–03
1	116.5	116.7	116.4	135.5
2	130.12	110.2	112.0	130.5
3.	103.8	123.2	105.7	126.2
4.	88.1	98.2	118.1	121.6
5.	77.3	83.3	94.2	108.7
योग	515.9	531.6	546.4	622.5
जी.ई.आर.				
कुल	93	96	98	101.2
बालिका	91	92	93	100.3
एन.ई.आर.				
कुल	92	93	94	97
बालिका	90	91	92	96

जनपद में छात्रवृत्ति वितरण, स्कूल पोषाहार वितरण एवं विभिन्न योजनाओं से विद्यालय की स्थापना के परिणाम स्वरूप विद्यालयों के शाला त्याग की दर में पर्याप्त कमी आयी है। गत तीन वर्षों की शाला त्याग की दर ज्ञात करने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में दो–दो विद्यालयों की कोहार्ट स्टडी करायी गयी। जिस के आधार पर ड्राप की दर निम्न सारणी में प्रदर्शित है–

सारणी

ड्राप आउट की दर

वर्ष	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कक्षा 5	कुल	बालिका
1999–2000	66.3	45.2	30.1	15.3	5.3	37	42
2000–2001	65.1	42.1	28.4	13.2	4.7	35	39
2001–2002	59.8	40	26.3	10.2	3.1	32	36
2002–2003	15.0	10	8.2	5.1	1.8	6.9	8.3

सारणी

रिपीटशन दर (प्राथमिक स्तर)

वर्ष	1998–99	1999–2000	2000–2001	2001–02	2002–03
रिपीटशन दर	11.2	9.8	5.1	4.8	4.0

जनपद जौनपुर की रिपीटीशन दर वर्ष 2002–03 में 4.0 प्रतिशत है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस दर को कम करके शून्य स्तर तक ले आना है।

जनपद की नामांकन दर

जनपद जौनपुर की 6–11 एवं 11–14 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन प्राथमिक एवं उच्च प्रा0विद्यालयों में शुद्ध नामांकन अनुपात वर्ष 2001–02 का क्रमशः 94 व 62 है। कुल में बालिकाओं का नामांकन अनुपात क्रमशः 91 व 50 है।

सारणी (नामांकन दर)

वर्ष 2002–03	प्राथमिक वि0 स्तर	उ0प्र0 वि0 स्तर
कुल एन.ई.आर.	97.8	62
कुल में बालिकाओं का एन.ई.आर.	96.9	50

शैक्षिक संप्राप्ति

डी.पी.ई.पी.–।।। योजनान्तर्गत जनपद में वेशलाइन सर्वे कराया गया, जिसके आधार पर प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की शैक्षिक संप्राप्ति का स्तर निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित है:–

कक्षा–1 के बच्चों की भाषा सम्बन्धी संप्राप्ति का स्तर (प्रतिशत में)

एम.एल.एल.	बालक	बालिका	अनुसूचित जाति
संप्राप्ति स्तर शून्य	19.91	26.08	27.68
संप्राप्ति की दक्षता	13.50	18.59	19.0

कक्षा–4 के बच्चों की गणित सम्बन्धी संप्राप्ति का स्तर (प्रतिशत में)

एम.एल.एल.	बालक	बालिका	अनुसूचित जाति
संप्राप्ति स्तर शून्य	70.93	84.67	80.91
संप्राप्ति की दक्षता	20.41	13.78	16.18

1999 से 2003 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		
	बालक	बलिका	योग	बालक	बलिका	योग
1999–2000	90787	49782	140569	64.6	35.4	100
2000–2001	92736	53125	145861	63.6	36.4	100
2001–2002	69640	56208	151742	45.9	54.1	100
2002–2003	92143	72782	164925	55.97	44.1	100

स्रोत – विभागी ऑकड़े

वर्तमान में जनपद जौनपुर डी.पी.ई.पी.–।।। परियोजना से आच्छादित है। वर्ष 2000–2001 से यह योजना संचालित है। इसके परिणाम स्वरूप स्तर पर नामांकन में वृद्धि के साथ–साथ उच्च प्राथमिक स्तर में भी नामांकन में वृद्धि हो रही है। उच्च प्रा0 स्तर पर बालिकाओं के नामांकन में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है।

परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं वृद्धि

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1999–2000	51664	45591	43314	140569	–
2000–2001	53208	49367	43284	145861	3.6
2001–2002	57032	50246	44464	151742	3.9
2002–2003	61751	55765	47415	164931	8.7

उक्त सारणी में उच्च प्रा0 स्तर पर कक्षावार नामांकन दर्शाया गया है। जिसके विश्लेषण के उपरांत ज्ञात हुआ कि वर्ष 2000–2001 में 3.6 प्रतिशत तथा वर्ष 2002–03 में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सारणी

ट्रांजिशन कक्षा 5 से कक्षा 6

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिट दर (प्रतिशत)
1999–2000	88421	51664	58.4
2000–2001	90777	53208	58.6
2001–2002	94358	57032	60.4
2002–2003	94710	61751	65.2

उपरोक्त सारणी से यह संकेत प्राप्त हो रहें है कि जो बच्चे कक्षा 5 उत्तीर्ण कर लेते हैं। वे सभी बच्चे कक्षा 6 में प्रवेश नहीं ले रहे हैं। इसका एक कारण उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा का अभाव भी है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

वर्ष	संख्या वर्ष 1993	संख्या वर्ष 2003	वृद्धि
उच्च प्राथ0विद्यालय	197	325	128

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

वर्ष 2002–03	अनुपात
ग्रामीण क्षेत्र	7.5 : 1
नगर क्षेत्र	4.5 : 1
योग	7.0 : 1

अध्याय-3

नियोजन प्रक्रिया

आजादी के बाद से विभिन्न आयोगों एवं परियोजनाओं के माध्यम से सरकार का अथक प्रयास रहा है कि समाज का 6–14 वय वर्ग का बच्चा शिक्षित हो जाय, पर यह विडम्बना ही रही है कि आज तक इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाये है। यद्यपि स्थिति में काफी बदलाव आया है, पर अभी हम यह कहने में सक्षम नहीं हैं कि 6–14 वय वर्ग का कोई अशिक्षित नहीं है।

इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की भागीदारी से केन्द्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वर्ष 2010 तक देश के प्रत्येक 6–14 वय वर्ग के बच्चों को कक्षा–8 तक की उपयोगी शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है। इस अभियान में समुदाय को मुख्य रूप से भागीदार बनाने का लक्ष्य है। समुदाय इस लक्ष्य की प्राप्ति में अपने को प्रमुख इकाई मानते हुए अपना समुचित योगदान प्रदान करें, इसके लिए प्रक्रिया में विभिन्न रणनीति अपनाने की योजना रखी गयी है। इस ओर ऐसे प्रयास किये जायेगें जिनसे सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल स्तर से निचले स्तर तक कार्यों का विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सके। इसी लिए इस योजना में ग्राम पंचायत के स्थान पर बस्ती को लक्ष्य बनाया गया है। प्रत्येक बस्ती को उपयोगी एवं कोटिपूरक शिक्षा से लाभान्वित करने का लक्ष्य इस योजना में है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु पंचायती राज संस्थाओं, निर्धारित क्षेत्रों में जनजातीय परिषदों, ग्राम पंचायतों, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षकों, अभिभावकों, स्वयं सेवकों, कलाकारों, महिला संगठनों को शामिक कर प्रत्येक की अपनी–अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा।

सूक्ष्मनियोजन एवं ग्राम शिक्षा योजना

जनपद जौनपुर में डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत प्रथम वर्ष 2000–2001 में ई. एम.आई. एस. द्वारा प्रत्येक विद्यालय से प्राप्त आंकड़े उपलब्ध है। किन्तु दो वर्ष के

आधार पर निष्कर्ष निकालना सम्भवन नहीं है। शिक्षा की आवश्यकता एवं विद्यालय पहुँच सम्बन्धी सर्वेक्षण स.बे.शि.अधि./समन्वयक बी.आर.सी. के माध्यम से कराकर आंकड़े समस्याओं/आवश्यकताओं की पहचान की गयी। सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक बस्ती के लिए निम्नलिखित सूचनाएं एकत्रित की गयी।

1. बस्ती/ग्राम में 6–11 वयवर्ग की कुल बच्चों की संख्या
2. विद्यालय/शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
3. विद्यालय में जाने वाले बच्चों की संख्या
4. विद्यालय/शिक्षा केन्द्रों में न जाने का कारण
5. ग्राम बस्ती में विद्यालय अथवा शिक्षा केन्द्र नही है तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है।
6. यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्राम वासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते है।
7. क्या ग्राम स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त है ? यदि नही तो इनके सुधार के लिए ग्रामवासियों के क्या सुझाव हैं?
8. क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है ? तथा छात्र अध्यापक अनुपात क्या है?
9. क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं?

भौतिक मानचित्रण, विश्लेशण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी :-

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, उत्साही युवक–युवतियों, शिक्षकों/शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं पर चर्चा की गयी। समूहों द्वारा समस्त परिवारों का

सर्वेक्षण कराया गया इसके द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित सूचनाएं एकत्र की गयी :–

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आय वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री–पुरूष की जनसंख्या
4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सदस्यों से विचार विमर्श के दौरान उभर कर आये बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों एवं बस्तियों के विवरण को समेकित करते हुए ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी है। ग्राम स्तर की जो सूचनाएं, आंकड़े एकत्र किये गये उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं ऐसी बस्तियों की भी सूची तैयार की गई हैं जिनमें शिक्षा गारण्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया । बहुउद्देशीयकर्मी, अध्यापक, छात्र एवं अभिभावक का सहयोग लिया गया। 10–15 जुलाई तक प्रत्येक विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रभातफेरी निकाली गयी। 16–31 जुलाई तक चिन्हित बच्चों का विद्यालय में प्रवेश कराया गया है। इस प्रकार इस अभियान के अन्तर्गत स्कूल न जाने वाले उक्त आयु वर्ग के 83854 बच्चे चिन्हित किये गये तथा इनका प्रवेश विद्यालय में कराया गया।

स्कूल चलो अभियान :-

स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम 2000 की जुलाई से प्रारम्भ किया गया है, जो प्रतिवर्ष अभियान के रूप में संचालित किया जाता है इस कार्यक्रम 6–14 आयुवर्ग के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालयों में शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु जिले स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते है यथा– रैलियों का आयोजन, नुक्कड़ सभायें, प्रभाव फेरियां, संगोष्ठियां तथा जनसम्पर्क आदि। इस कार्यक्रम में समाज के समस्त वर्गों का सहयोग लिया जाता है। जिले स्तर के अधिकारियों से लेकर ग्राम स्तर के अधिकारी इस कार्यक्रम में सक्रिय योगदान प्रदान करते है इनके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सदस्य प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख, स्वैच्छिक संगठनों के व्यक्ति, समाज सेवी संस्थायें आदि का सहयोग लिया जा रहा है।

विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी स्कूल चलों अभियान के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 18.07.2003 को स्कूल चलों अभियान से सम्बन्धित एक बैठक सम्पन्न होगी जिसमें शिक्षा विभाग (बेसिक) के सभी अधिकारी के साथ प्राचार्य डायट एवं जिले स्तर के कई अधिकारी प्रतिभाग किये। जिलाधिकारी महोदय ने ब्लाक स्तर, तहसील स्तर पर क्रमशः खण्ड विकास अधिकारी के निर्देशन में एवं ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में, तथा तहसील स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उक्त रैलियां आयोजित करने के निर्देश दिये तथा इसका अनुपालन सुनिष्चित किया गया है। इसके अतिरिकत ग्राम/विद्यालय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग एवं प्रधान की अध्यक्षता में भी रैलिया निकाली गयी। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में दिनांक 25.07.2003 को प्रभारी मंत्री/माननीय कैलास नाथ यादव की अध्यक्षता में टाउन हाल से एक बृहद रैली निकाली गयी जो कलेक्ट्रेट के अनुश्रवण कक्ष के समक्ष के एक सभा के रूप में सम्पन्न हुई। इस रैली में जिले स्तर के विभिन्न विभागों

के अधिकारी सम्मिलित हुए। माननीय प्रभारी मंत्री के साथ जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, प्रभारी जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, नगर शिक्षाधिकारी, सहा0 बे0 शिक्षाधिकारी के साथ ही प्राचार्य डायट, जिला पंचायत अध्यक्ष, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधियों ने इस रैली में भाग लिये। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। रैली के समापन अवसर पर उक्त अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने अपने सम्बोधन में शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु सभी का आह्वान किया तथा निरक्षरता को दूर करने का संकल्प लिया तथा सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सभी लोगों को कार्य करने की शुभकामनाएं प्रदान की है।

परिवार सर्वेक्षण :-

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6–14 आयुवर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं का शत–प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता की वृद्धि हेतु व्यापक सर्वेक्षण कराने के उद्देश्य से परिवार सर्वेक्षण कार्यक्रम मई 2003 के अन्तिम सप्ताह से प्रारम्भ किया गया। शिक्षकों की सहायता से परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र भरायें गये इन प्रपत्रों के आकड़ों का संकलन बस्ती को ईकाई मान कर किया गया। इस प्रकार प्रत्येक बस्ती के परिवारों के 0–14 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं की पहचान पर उनकी संख्या ज्ञात की गई । इनमें से लक्ष्य समूह 6–14 आयुवर्ग के बालक बालिकाओं की संख्या जातिवार एवं आयुवर्ग के अनुसार ज्ञात की गई। इसके अतिरिक्त विद्यालय न जाने वाले बच्चों के पहचान करके इनकी संख्या ज्ञात की गयी। जनपद स्तर पर सूचना संकलित की गई इसका विवरण सारणी संख्या 3.1 में प्रदर्शित है इसके अतिरिक्त स्कूल न जाने वाले बालक बालिकाओं का विवरण विभिन्न कारण की श्रेणी वार संख्या सारणी नं 3.2 में प्रदर्शित की गई है। उक्त के अतिरिक्त विकलांग बच्चों की भी पहचान कर इनको भी श्रेणीवार विभाजित किया गया है।

सारणी 3.1

परिवार सर्वेक्षण संकलन प्रपत्र वर्ष 2002–03

जाति /	कुल बच्चों की संख्या				स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या			
आयुवर्ग	बालक		बालिका		बालक		बालिका	
	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14
सामान्य	94953	31765	46597	38181	50742	3054	42614	32651
अनु0जा0	42656	45121	79079	35884	41658	42707	69250	33265
अनु0ज0जा0	–	–	–	–	–	–	–	–
पि0जा0	151845	77919	132400	43486	139987	79098	118281	11416
अ0सं0	34011	17117	28364	15657	26440	16838	24998	14972
योग	283475	171922	288350	153208	258827	141697	255143	92340

सारणी 3.2

परिवार सर्वेक्षण संकलन प्रपत्र वर्ष 2002–03

	स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या						विकलांग बच्चे			
जाति /	बालक			बालिका			बालक		बालिका	
आयुवर्ग	5^{+}–6+	7^{+}–10+	11^{+}–14	5^{+}– 6+	7^{+}–10+	11^{+}–14	6 से 11	11–14	6–11	11–14
सामान्य	7439	1069	1329	5373	136	1131	267	161	161	96
अनु0जा0	10235	3052	2545	9406	1960	2703	383	195	260	120
अनु0ज0जा0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पि0जा0	16403	3132	3736	14630	3450	3956	550	293	341	259
अ0सं0	4981	1241	1429	4291	1199	2087	227	101	102	89
योग	39058	8494	1039	33700	6745	9877	1427	750	864	564

सारणी 3.3

विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या कारण सहित

हाउसहोल्ड सर्वे जून 2003

कारण	बालक			बालिका			
आयुवर्ग	$5^{+}-6+$	$7^{+}-10+$	$11^{+}-14$	$5^{+}-6+$	$7^{+}-10+$	$11^{+}-14$	योग
घर के कार्य में लगे रहना।	5733	991	4077	540	1621	5501	18463
मजदूरी करना	663	235	1507	185	154	800	3544
भाई बहनों की देखभाल करना	7789	2693	1264	7251	3872	1326	24195
विद्यालय का दूर होना	498	314	504	766	528	335	2945
अन्य	24375	4261	1687	24958	570	1915	57766
योग	39058	8494	9039	33700	6745	9877	106913

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत व्यक्तिगत सम्पर्क जनजागरण रैली, आदि के माध्यम से जनपद में उक्त बच्चों में से 87888 बच्चों का नामांकन परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराकर शिक्षा की मुख्य धारा में लाया गया शेष 19025 बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान कराने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित किये जाते है।

सारणी 3.4

विकलांगता के कारण तथा आयुवर्गवार बच्चों की संख्या

आयुवर्ग	जेण्डर	दृष्टिदोष	सुनना	बोलना	अ0अक्षन्ता	मा0 मन्द	शा0 अक्षमता	योग
6–11	बालक	169	88	203	95	202	884	1641
11–14	बालक	74	80	97	72	135	203	688
6–11	बालिका	113	99	87	57	145	281	782
11–14	बालिका	61	57	77	48	84	37	364

सर्व शिक्षा अभियान जनपद जौनपुर में नियोजित करने के लिए वर्ष 2002–07 की दीर्घकालीन कार्य योजना एवं बजट की संरचना हेतु जनपद की एक कोर टीम का प्रशिक्षण सीमैट इलाहाबाद में दिनांक 1–2 सितम्बर 2003 को आयोजित किया

सर्व शिक्षा अभियान जनपद जौनपुर में नियोजित करने के लिए वर्ष 2002–07 की दीर्घकालीन कार्य योजना एवं बजट की संरचना हेतु जनपद की एक कोर टीम का प्रशिक्षण सीमैट इलाहाबाद में दिनांक 1–2 सितम्बर 2003 को आयोजित किया गया। इस टीम में उपबेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक एवं एक सहायक लेखाधिकारी थे। इस प्रशिक्षण के पश्चात् जिले स्तर का जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 03–9–2003 को समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक की सामुहिक बैठक आयोजित कर सर्व शिक्षा अभियान के स्वरूप, लक्ष्य एवं रणनीतियों के विषय में व्यापक विचार–विमर्श किया गया। इसी बैठक में सभी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने–अपने बी0आर0सी0 पर एवं ग्राम स्तर पर अध्यापकों, ग्रामवासियों, प्रबुद्ध एवं उत्साही व्यक्तियों, महिला प्रतिनिधियों एवं माताओं की बैठकें आयोजित की गयी। जिला पंचायत अध्यक्ष व बेसिक शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ, जिलाधिकारी एवं अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ, शिक्षक संगठनों, अभिभावकों के साथ बैठकें आयोजित की गयी। जिसका विवरण निम्नवत् है–

नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	स्तर–तिथि	प्रतिभागियों का विवरण	समस्यायें
1	जनपद 12.11. 2001	जिलाधिकारी, जिलापंचायत राज अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	1. शिक्षकों की कमी 2. गुणवत्ता की कमी 3. 3. जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण 4. बालिकाओं हेतु पृथक शौचालयों की व्यवस्था 5. बाल श्रमिकों हेतु उनकी सुविधा के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था 6. चहारदीवारी की व्यवस्था
2.	जनपद शैक्षिक संगठनों द्वारा 12.11.2001	प्राथमिक एवं पू0मा0 शिक्षक संगठन के पदाधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	1. शिक्षकों द्वारा शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्य कराया जाना। 2. भौतिक संसाधनों का अभाव जैसे–टाटपट्टी, बेंच–डेस्क, बिजली आदि। 3. सतत् मूल्यांकन का अभाव। 4. अध्यापकों द्वारा शिक्षा में अरूचि।
3.	ब्लाक–मछलीशहर 21.11.2001	सहायक बे0शि0 अधि0, ग्राम प्रधान, बी0डी0सी0 सदस्य, प्रधानाध्यापक (प्रा0 एवं पू0 मा0)	1. शिक्षकों से शिक्षण के अतिरिक्त अन्य कार्य कराना। 2. शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूकता का अभाव। 3. अभिभावकों एवं अध्यापकों में सामंजस्य की कमी। 4. कामगार बच्चों के लिए शिक्षा को अलग से व्यवस्था। 5. अध्यापकों की कमी। 6. शिक्षकों में शिक्षा के प्रति अरूचि।

			7. सभी क्षेत्रों में विद्यालयों का अभाव।
4.	ग्घुटहन 21.11.2001	सहायक बे0शि0 अधिकारी, प्रति उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, बी0डी0सी0 सदस्य, समस्त प्रधानाध्यापक, प्रति उपविद्यालय निरीक्षण।	1. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अध्यापकों में समन्वय का अभाव। 2. हरिजन आबादी के बच्चों के लिए विद्यालय की पहुँच का विस्तार। 3. शौचालय की व्यवस्था। 4. बालिकाओं के लिए जू0हा0 स्कूलों की व्यवस्था। 5. महिला शिक्षिकों की व्यवस्था।
5.	मुँ0 बादशाहपुर, जलालपुर 03.12.2001	उप बेसिक शिक्षा अधि0, स0 बे0 शि0 अधि0, ब्लाक प्रमुख एवं बी0डी0सी0 सदस्य	1. सभी विद्यालयों में भवन की व्यवस्था। 2. पेयजल एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था। 3. शिक्षकों द्वारा शिक्षण में पर्याप्त रूचि का अभाव 4. कामगार बच्चों के लिए पृथक शिक्षण व्यवस्था। 5. भट्ठों पर काम करने वाले बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था। 6. विकलांग बच्चों के लिए पृथक शिक्ष व्यवस्था। 7. बालिकाओं का प्रवेश अभिभावक नहीं कराते।
6.	मड़ियाहूँ 05.12.2001	राहा0 बे0शि0 अधि0, ग्राम प्रधान, बी0डी0सी0 सदस्य, प्रति उपविद्यालय निरीक्षक	1. जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण की समस्या। 2. शिक्षा स्तर के सुधार की समस्या। 3. बच्चों के अनुपात में शिक्षा कक्षों की कमी। 4. शिक्षकों की कमी। 5. पू0मा0 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा की

			व्यवस्था। 6. ग्राम शिक्षा सगिति एवं अध्यापकों के मध्य ताल–मेल का अभाव। 7. पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था।
7.	शाहगंज 10.12.2001	स0बे0शि0, ग्राम प्रधान, बी0डी0सी0 सदस्य, अध्यापक, शिक्षक संगठन के पदाधिकारी, समन्वयक	1. विद्यालयों में शिक्षकों की कमी। 2. शिक्षकों का शिक्षण के अतिरिक्त अन्य कार्य करना। 3. मुस्लिम बालिकाओं हेतु पृथक शिक्षा की व्यवस्था 4. शिक्षा में बढ़ता राजनैतिक हस्तक्षेप। 5. बालिकाओं के लिए हस्तशिल्प विषयों के शिक्षणों की व्यवस्था। 6. छात्राओं के लिए महिला शिक्षिकाओं की व्यवस्था। 7. छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था। 8. कारखाने में काम करने वाले बच्चों के लिए शिक्षण की व्यवस्था।
8.	बदलापुर, महाराजगंज 12.12.2001	उप बे0शि0 अधि0, स0बे0शि0 अधि0 प्रति उपविद्यालय निरीक्षक, ग्राम प्रधान, बी0डी0सी0 सदस्य, अध्यापक, ब्लाक प्रमुख, युवक मंगल दर के सदस्य	1. शिक्षा स्तर में गुणवत्ता का अभाव। 2. अध्यापकों से केवल शिक्षण कार्य कराया जाय। 3. वालिकाओं के ठहराव हेतु ई0सी0सी0ई0 केन्द्र खोले जाय। 4. वालिकाओं के लिए उच्च शिक्षद्दा के विद्यालय नजदीक हों। 5. विद्यालयों का समुचित निरीक्षण अपेक्षित है।

इस प्रकार विभिन्न प्रकार के समुदायों के बीच विचार विमर्श के बाद प्रारम्भिक शिक्षा की जो समस्यायें उभर कर सामनें आयीं, उनके सापेक्ष वर्ष 2006–07 की कार्ययोजना एवं बजट निर्माण किया गया।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सी/विभागों से समन्वय एवं सहयोगः-

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास में निम्नलिखित विभागों से सहयोग प्राप्त किया जा रहा हैः–

1. समाज कल्याण विभाग :-

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी अनुसूचित जाति की छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है। यह धनराषि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को प्रतिमाह रूपये 300/– तथा कक्षा 6–8 स्तर तक के बच्चों को रू0 480/– प्रतिमाह उपलब्ध कराई जा रही है।

2. विकलांग कल्याण विभाग :-

विकलांग बच्चों को शिक्षा के प्रति रूझान करने के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र–छात्राओं को जिला विकलांग कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है। इस छात्रवृत्ति का लाभ सभी जाति एवं वर्ग के बच्चों को प्राप्त हो रहा है।

3. अल्पसंख्यक कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग :-

समाज कल्याण विभाग की तरह अल्प संख्यक कल्याण विभाग भी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र–छात्राओं को क्रमशः रू0 300 एवं रू0 480 प्रतिमाह की दर से अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उपलब्ध करा रहा है। किन्तु पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से भी बच्चों को छात्रवृत्ति न कराकर

कुछ चुने हुए बच्चों को रू0 250 व 400 की दर से छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इस प्रकार गरीब एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार में यह विभाग सहयोग प्रदान कर रहा है।

4. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग :-

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को उनकी 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर प्रति माह प्रति छात्र 3 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न पोषाहार योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है।

5. आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वय :-

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा स्वास्थ्यकर्मी, एन0जी0ओ0 आदि को सम्मिलित कर जिला सन्दर्भ समूह तथा विकास खण्ड सन्दर्भ समूह का गठन किया जाता है और आई0सी0डी0एस0 के साथ निम्नानुसार समन्वय स्थापित किया जाता है।

क– आंगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

ख– आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

ग– आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।

घ– केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।

ङ– केन्द्रों के संचालक के अतिरिक्त समय हेतु अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

6. ग्राम पंचायतों से समन्वय :-

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाती

है जहां पर विद्यालयों का निर्माण कराया जाता है।

7. उ0प्र0 जल निगम/यू0पी0 एग्रो से समन्वय :-

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल की व्यवस्था के लिए हैण्डपम्प की स्थापना की जाती है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित राहयोग प्राप्त किया जायेगा।

अध्याय-4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया है। नवीं पंचवर्षीय योजनावधि तक केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85.15, 10 वीं पंचवर्षीय योजना में यह अंशदान प्रतिशत 75:25 तथा उसके उसके आगे की अवधि के लिए यह अंशदान 50:50 का होगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1–8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु जनपद स्तर मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं :–

1. वर्ष 2003 तक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केन्द्रों आदि के माध्यम से सभी बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन।
2. वर्ष 2007 तक 6–11 वयवर्ग के सभी बच्चों को कक्षा 5 तक शिक्षा प्राप्त कराना।
3. 11–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2010 कक्षा 8 तक शिक्षा प्राप्त कराना।
4. कक्षा 1–8 तक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त कराना।
5. समाज के सभी वर्गों के बच्चों का 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन व ठहराव में अन्तर को समाप्त करना अर्थात् ड्राप आउट का समाप्त करना।
6. वर्ष 2010 तक बच्चों का सार्वभौमिक ठहराव।

उपरोक्त राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिए भी मान लिया गया है। उपरोक्त लक्ष्यों के अतिरिक्त जनपद के लिए कुछ और विशेष लक्ष्य निर्धारित किये गये है, जिनका उल्लेख अगले पृष्ठों पर किया गया है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल जनसंख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु

अपनायी गयी विधा

जनपद जौनपुर की वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्ष 1991 जनगणना को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षों में जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत है। इस वार्षिक वृद्धि दर के माध्यम से वर्ष 2002 से 2010 तक के प्रत्येक वर्ष की जनपद जौनपुर की कुल जनसंख्या निकाली गयी है।

जनगणना वर्ष 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को अंगीकार करते हुए वर्ष 2001 तथा इससे अग्रिम वर्षों की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6–11 वर्ष की बालगणना के लिए 14.9 प्रति0 तथा 11–14 वर्ष की बालगणना ज्ञात करने के लिए 6.2 प्रतिशत का अनुपात लिया गया है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान के जी.ई.आर. को आधार लेते हुए नीपा, नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित इन्रोलमेन्ट रेशियों मेथड से 2002 से वर्ष 2010 तक का जी.ई.आर. प्रक्षेपित किया गया है । वर्ष 2003 तक 6–11 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर शतप्रतिशत नामांकन का लक्ष्य तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 2007 तक 11–14 वर्ष के बच्चों के शतप्रतिशत का नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। नामांकित बच्चों की उम्र विचलन के कारण जी.ई.आर. का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। अतः उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 के बाद प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2007 के बाद उच्च प्राथगिक स्तर जी.ई.आर. में वृद्धि कम होगी। कारण कि जितने बच्चे 6–11 वर्ष व 11–14 वर्ष में बढ़ेगें लगभग उतने ही नामांकन में बढ़ेगें। प्रोजेक्शन के लिए वर्ष 2001 की नवीनतम जनगणना को आधार माना गया है। तथा 6–11 हेतु 14.9 प्रतिशत एवं 11–14 हेतु 6.2 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार जनपद को 6–11 वर्ष की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत है :–

सारणी सं0-4.1

प्राथमिक स्तर पर वर्षवार नामांकन लक्ष्य–जौनपुर

वर्ष	6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			एन0ई0आर0
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2002–03	294169	300271	594440	275793	300813	576606	96
2003–04	300052	306276	606328	300052	306276	606328	100
2004–05	306053	312502	6184555	306053	312502	618455	100
2005–06	312174	318650	630824	312174	318650	630824	100
2006–07	318417	325024	643441	318417	325024	643441	100
2007–08	324786	331523	656309	324786	331423	656309	100
2008–09	331282	338154	669436	331282	338154	669436	100
2009–10	337908	344916	682824	337908	344916	682824	100

सारणी संख्या-4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्षवार नामांकन लक्ष्य–जौनपुर

वर्ष	11–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			एन0ई0आर0
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2002–03	122391	125960	247351	98170	74976	173146	70
2003–04	124838	127460	252298	107670	89222	196792	78
2004–05	127335	130009	257344	117309	104007	221316	86
2005–06	129881	132610	262491	124768	119349	244117	93
2006–07	122479	135262	267741	132479	135262	267741	100
2007–08	135129	137967	273096	135729	137937	273096	100
2008–09	137831	140726	278557	137831	140726	278557	100
2009–10	140588	143541	284129	140588	143541	284129	100

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद जौनपुर की प्लान संरचना में प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 2010 तक शत–प्रतिशत नामांकित बच्चों के ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। उसी के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ड्रापआउट क्रमशः कम करने तथा समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किये गये है। जो निम्नवत है:–

सारणी सं0–4.3

ड्रापआउट कम/समाप्त करने का लक्ष्य

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की लक्षित दर	उ0प्रा0 की ड्रापआउट की लक्षित दर
2001–02	32	16.5
2002–03	27	12
2003–04	21	9
2004–05	16	7
2005–06	11	5
2006–07	4	4
2007–08	0	3
2008–09	0	1
2009–10	0	0

प्रा0वि0/उच्च प्रा0वि0 की शाल त्याग दर ज्ञात करने के लिए जनपद की प्रत्येक ब्लाक से दो–दो विद्यालय से यादृच्छया ऑकड़े एकत्र किये गये तथा विश्लेषण के बाद ड्रापआउट ज्ञात किया गया।

वर्ष 2002–03 की आगणित शाला त्याग दर निम्नवत है।

क्र0सं0	विद्यालय स्तर	चयनित विद्यालयों की कक्षा 1/कक्षा 6 बच्चों की संख्या	चयनित विद्यालयों की कक्षा 5/कक्षा 8 बच्चों की संख्या	शाला त्यागी बच्चों की संख्या	शाला त्याग की दर
1.	प्राथमिक	3600	2791	809	22.47
2.	उच्च प्राथमिक	6111	5396	715	11.70

सन 2001 की जनगणना क आधार पर गाववार विस्तृत आंकडें प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालया का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

अध्याय-5

समस्यायें एवं रणनीतियाँ

सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया पूर्णतया विकेन्द्रीकृत रूप में अपनायी गयी है, और बस्ती आधारित कार्यक्रम का नियोजन किया गया है। जनपद के शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गों, शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, अभिभावकों आदि के साथ ग्रामपंचायत न्यायपंचायत, विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर बैठकें कर ली गयी हैं। इन बैठकों में विचार विमर्श के बाद प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्यायें व मुद्दे निम्नवर्त उभर कर आये हैं। इन समस्याओं एवं मुद्दों के समाधान हेतु इस अभियान के अन्तर्गत अपनायी जाने वाली रणनीति इस प्रकार है :–

क. शिक्षा का विस्तार / पहुंच– इसके अंतर्गत 6–14 आयु वर्ग के बालक– बालिकाओं को विद्यालयों में प्रवेश की सुविधा हेतु संस्थाओं की आवश्यकता / उपलब्धता संबंधी जानकारी करना तथा उनकी व्यवस्था सम्मिलित है।

ख. नामांकन– परिवार संरक्षण के आधार पर जनपद के सभी परिवारों के 6–14 आयुवर्ग के बालक बालिकाओं की संख्या का आकलन करके उनके विद्यालय जाने और न जाने के रूप में पहचान की गयी तथा उनके शत प्रतिशत नामांकन के प्रयास किये गये।

ग. ठहराव– बालक बालिकाओं के विद्यालयों में प्रवेश के साथ ही उनके विद्यालयों में सम्पूर्ण अवधि तक टिके रहकर अध्ययन करना भी आवश्यक है जिससे वे कक्षा 8 तक की शिक्षा ग्रहण कर सकें।

घ. गुणवत्तासंवर्धन– शिक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए सर्वशिक्षा अभियान में विभिन्न शैक्षिक तकनीकों / विधाओं का ज्ञान कराना मुख्य लक्ष्य है।

उक्त बिन्दुओं से सम्बंधित समस्याओं एवं उनके निराकरण हेतु निम्नलिखित रणनीति अपनायी जायेगी।

मुद्दे / समस्यायें	रणनीतियाँ
(क) शिक्षा का विस्तार / पहुँच असेवित बस्तियों में विद्यालय उपलब्ध नहीं है।	सर्वेक्षण के आधार पर 300 से अधिक आबादी वाले 113 असेवित बस्तियों के नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। इसी तरह मानक के अनुसार 800 से अधिक की आबादी पर जनपद में 245 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। इनके खुल जाने से 480 असेवित बस्तियाँ संतृप्त हो जायेंगी।
2. 300 से कम आबादी वाले बिखरी बस्तियों में 1.5 कि0मी0 के भीतर कोई शैक्षिक साधान उपलब्ध नहीं है।	जनपद की इन बिखरी बस्तियों हेतु जनपद में कुल 217 ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जायेंगें।
(ख) नामांकन सम्बन्धी 1. समाज में लोगों को बच्चों के पठन–पाठन प्रक्रिया की जानकारी / जागरूकता नहीं है।	इस समस्या के समाधान हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से मासिक बैठकें आहूत की जायेंगी, तथा विद्यालयों द्वारा शिक्षा सप्ताह तथा रैली का आयोजन कर जनजागृति पैदा की जायेगी।
2. समाज का अधिकांश भाग विपन्नता से प्रभावित है। बच्चे घरेलू कार्य में व्यस्त रहते है।	माज के इस वर्ग के अभिभावकों से सम्पर्क के उन्हें शिक्षा के महत्व को बतलाया जायेगा, तथा बच्चों से घरेलू कार्य न लेने हेतु प्रेरित किया जायेगा। क्षेत्रीय आवश्यकता व उपलब्धता के आधार पर उत्पादक कार्य जैसे–बाँस, सिलाई, बुनाई, एलबम, चित्रकारी आदि की शिक्षा पर बल दिया जायेगा।
3. छात्रों को प्रदत्त सुविधा / लाभ/ प्रोत्साहनों का दुरूपयोग	बच्चों को दिया जाने वाला स्कूल खाद्यान्न, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण प्रक्रिया में इस प्रकार सुधार किया जायेगा कि विद्यालयों में छात्र उपस्थित तथा ठहराव बना रहे।
(ग) विद्यालयों में ठहराव 1. जनसहभागिता / समर्थन का अभाव	बच्चों के अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता को कारणों का समाप्त करने हेतु उनके सहयोग से विद्यालयों के बच्चों का ठहराव सुनिश्चित किया जायेगा।
2. विद्यालयी आकर्षण का अभाव	विद्यालय के प्रांगण में बागवानी व पेड़ पौधों का रोपण की व्यवस्था द्वारा विद्यालय का आकर्षण बढ़या जायेगा। बच्चों के खेलने व सांस्कृति कार्यक्रमों हेतु वातावरण बनाया जायेगा।
3.विद्यालय के सौंदर्यीकरण की सुरक्षा का अभाव	चहारदीवारी विहीन 1630 प्राथमिक विद्यालय तथा 126 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कराते हुए बागवानी की सुरक्षा की जायेगी।
4. पेयजल तथा शौचालय का अभाव	पेयजल सुविधा विहीन 21 प्राथमिक विद्यालय तथा 5 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प की सुविधा तथा शौचालय सुविधा विहीन 990 प्राथमिक विद्यालय तथा 160 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय सुविधा प्रदान कर बच्चों का ठहराव बढ़ाया जायेगा।
5. शिक्षकों की कमी तथा कक्षा–कक्ष का अभाव	प्राथमिक विद्यालय में 6101 कक्षा–कक्ष तथा 6571 शिक्षकों की कमी को उन उच्च प्राथमिक विद्यालय में 84 कक्षा–कक्ष तथा 542 शिक्षकों की आवश्यकता को दूर किया जायेगा, जिससे बच्चों का ठहराव सुनिश्चित हो सके।
6. शिक्षकों में कार्य के प्रति अभिप्रेरणा तथा बहुशिक्षण कौशल का अभाव	शिक्षकों को उनके कर्तव्य बोध का भाव जागृत करने के लिए बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा, तथा प्रशिक्षण के माध्यम से बहुकौशल शिक्षण का विकास ठहराव की समस्या से छुटकारा

	पा लिया जायेगा।
(घ) गुणवत्ता सम्बन्धी समस्या 1. नये पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षकों के ज्ञान में कमी	शिक्षक के ज्ञान को नवीन पाठ्यक्रमानुसार बनाने हेतु उन्हें उनके स्तरानुसार भाषा, गणित तथा विज्ञान विषयों में प्रतिवर्ष सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
2. निरीक्षक वर्ग का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण का न होना	शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण के साथ–साथ निरीक्षण वर्ग के अधिकारियों को भी समय–समय पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा, जिससे वे शिक्षकों को गुणवत्ता संवर्धन हेतु मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।
3. समुदाय में शिक्षण प्रक्रिया के समुचित ज्ञान का अभाव है।	सर्व शिक्षा अभियान के तहत सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों माता तथा अभिभावक–शिक्ष संगठन के सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों से परिचित कराया जायेगा।
4. शिक्षण सहायक सामग्री व उपयोग कौशल का अभाव	पाठ्यक्रम के अनुसार सम्बन्धित कक्षा अध्यापक द्वारा सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण कराया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष टी0एल0एम0 हेतु शिक्षक अनुदान दिया जायेगा, तथा सहायक सामग्रियों के माध्यम से किस तरह का बेहतर शिक्षण किया जाय, इस सम्बन्ध में उनकों प्रशिक्षण दिया जायेगा।
5. शिक्षकों का गैर शिक्षक कार्य में लगे रहना	विभागीय तथा गैर विभागीय अधिकारियों द्वारा शिक्षकों से विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे–सूचनाओं का संकलन, भवन निर्माण, खाद्यान्न वितरण आदि गैर शैक्षिक कार्य कराया जाता है, इसको कम करने का प्रयास किया जायेगा, ताकि उनका पूरा ध्यान शिक्षण पर केन्द्रित हो सके।
(ङ) संस्थागत क्षमता सम्बन्धी समस्या 1. ब्लाक संसाधन केन्द्रों एवं न्याय संसाधन केन्द्रों पर विद्यालयों के पर्यवेक्षण एवं विद्यालयों को अकादमी सपोर्ट का न मिलना।	ब्लाक संसाधन तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के समन्वयकों को गुणवत्ता पूर्ण शिखा एवं बच्चों में दक्षता विकास का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों को शैक्षिक पर्यवेक्षण तथा शैक्षिक सहयोग देने के लिए दक्ष बनाया जायेगा, ताकि विद्यालयों व शिक्षकों को मार्गदर्शन एवं अकादगी सहयोग मिल सके।
2. जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान में विद्यालयीय दशाओं के अनुसार प्रशिक्षण का अभाव	जिला प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी कि वे शिक्षकों को प्रशिक्षण स्थानीय दशाओं तथा विद्यालयीय कक्षा–कक्ष की स्थिति के अनुरूप दें, तथा शिक्षकों को बहुशिक्षण की विद्या से परिचित करायेंगे।
3. प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य का अभाव	प्राथमिक शिक्षा के लिए आवश्यक लक्ष्य के रास्ते में आने वाली बाधाओं के क्रियान्वयन सम्बन्ध शोध कार्य की पर्याप्त व्यवस्था सर्वशिक्षा अभिअभिय जायेगी। सुझाये गये तरीकों / विद्या के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास किया जायेगा, तथा प्राप्त परिणामों का उपयोग कार्यक्रमों के संचालन में किया जायेगा।
4. विद्यालय सांख्यिकी तथा इण्टीकेटर के उपयोग का अभाव	ई0एम0आई0एस0 को सुदृढ़ बनाया जायेगा, और नियमित रूप से आंकड़ों कर विश्लेषण द्वारा प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना निर्माण में किया जायेगा।

अध्याय-6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार-1

(नवीन औपचारिक विद्यालय)

1. नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

6–11 वय वर्ग के बालाकों के अभिभावक अपने बच्चों को दूर के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन नहीं कराते है। यदि अभियान चलाकर उनका नामांकन दूरस्थ विद्यालयों में करा भी दिया जाता है तो कुछ दिन बाद ये बच्चे विद्यालय जना बन्द कर देते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा प्रति 1.5 कि0मी0 पर एक प्राथमिक विद्यालय खोने का निर्णय किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।।। के तहत कुल 88 प्राथमिक विद्यालय खोले गये है।

जनपद जौनपुर में बस्तियों की कुल संख्या 6418 है, इनमें से अधिकांश किसी न किसी प्राथमिक विद्यालय के पहुँच में आ गयी हैं कुछ बस्तियाँ ऐंसी हैं जहाँ मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की स्थापना नही की जा सकती, वहाँ ई0 जी0 एस0/एस0 के अंतर्गत विद्याकेन्द्र/ शिक्षाकेन्द्र स्थापित किये जायेगे।

2. नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

जनपद जौनपुर ग्रामीण बाहुल्य जनपद हैं ग्रामीण क्षेत्र के विकास खण्डों में उच्च प्राथमिक विद्यालय की काफी कमी है। शहरी क्षेत्र 11–14 वयवर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। अतः नगरीय क्षेत्र में कोई भी उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय मानक के अनुसार दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता बतायी गई है। परन्तु जनपद जौनपुर में कराये गये सर्वे के

आधार पर (जिसमें 800 की आबादी व 3 कि0मी0 में उ0प्र0वि0 की अनुपलब्धता को आधार माना गया है।) जनपद में आगामी वर्षों में कोई उच्च प्रा0वि0 नहीं खोले जाने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में कुल 27 कन्या क्रमोत्तर कक्षा 8 संचालित है जिनमें केवल 2 शैक्षिका की व्यवस्था है तथा प्राथमिक विद्यालय में संचालित बालिका शिक्षा की व्यवस्था करते है। प्रस्तावित विद्यालयों में विद्यालय भवन की समुचित व्यवस्था के साथ–साथ शौचालय, हैण्ड पम्प, चहार दीवारी, शिक्षण सामग्री, काष्ठोपकरण एवं शिक्षकों की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खोले जाने वाले नवीन उच्च प्रा0वि0 में साज–सज्जा एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा–मेज, कुर्सी, टाटपट्टी, घण्टा, श्यमपट्ट, लोटा–बाल्टी–गिलास, कूड़ेदान व संगीत सामग्री जैसे–ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी, आदि, क्रीड़ा सामग्री जैसे–फुटबाल, वालीबाल, कूदने की रस्सी तथा क्लास रूप शिक्षण सामग्री जैसे–विज्ञान किट, गणित किट, मानचित्र, ग्लोब आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराये गये धन के आधार पर की जायेगी।

3. पेयजल, शौचालय एवं चहारदीवारी :-

प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पानी पीने हेतु इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्प लगाये जायेंगे। प्रत्येक नवीन विद्यालयों में बालक–बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी। विद्यालय प्रांगण व साज–सज्जा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से चहार दीवारी की निर्माण कराया जायेगा।

4. निर्माण कार्यदायी संस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्मित होने वाले नवीन भवनों की निर्माण कार्यदायी संस्था ग्राम शिक्षा समिति होगी। इससे उनमें सामुदायिक सहभागिता

एवं विद्यालयों के अपनत्व/जागरूकता बढ़ेगी।

5. शिक्षकों की आवश्कयता

प्रस्तावित नवीन उ0प्र0वि0 हेतु शिक्षकों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक नवीन उ0प्र0वि0 में एक प्र0अ0 तथा 2 सहायक अध्यापकों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। यह व्यवस्था कक्षावार व विषयवार की जायेगी। तथा इन नियुक्तियों में 50 प्रति0 महिला शिक्षक नियुक्त की जायेगी। वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कोई नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना नहीं की जायेगी, भविष्य में 206 प्राथमिक विद्यालयों को उच्चीकृत किया जायेगा।

सारण संख्या-6.1

ब्लाक वार प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना जिन्हें उच्चीकृत किया जायेगा।

क्र.सं.	नाम विकास खण्ड	प्रस्तावित नवीन उ.प्रा.वि.	शौचालय	हैण्डपंप	चहार दीवारी	शिक्षकों की व्यवस्था		शिक्षण सामग्री सं0वि0	काष्ठोपकरण सं0वि0
						प्र.अ.	स.अ.		
1.	**करंजाकला**	**16**	**16**	**16**	**16**	16	16	16	16
2.	धर्मापुर	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	बक्शा	15	15	15	15	15	15	15	15
4.	सिकरारा	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	सिरकोनी	9	9	9	9	9	9	9	9
6.	बदलापुर	7	7	7	7	7	7	7	7
7.	महराजगंज	12	12	12	12	12	12	12	12
8.	मड़ियाहूँ	12	12	12	12	12	12	12	12
9.	रामनगर	6	6	6	6	6	6	6	6
10.	रामपुर	6	6	6	6	6	6	6	6
11.	बरसठी	17	17	17	17	17	17	17	17
12.	मछलीशहर	13	13	13	13	13	13	13	13
13.	सुजानगंज	2	2	2	2	2	2	2	2
14.	मुँ0बादशाहपुर	19	19	19	19	19	19	19	19
15.	केराकत	9	9	9	9	9	9	9	9
16.	जलालपुर	8	8	8	8	8	8	8	8
17.	मुफ्तीगंज	10	10	10	10	10	10	10	10
18.	डोभी	6	6	6	6	6	6	6	6
19.	शाहगंज	8	8	8	8	8	8	8	8
20.	सुइथाकला	12	12	12	12	12	12	12	12
21.	खुटहन	19	19	19	19	19	19	19	19
22.	नगर क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–
	महायोग	206	206	206	206	206	206	206	206

सारणी संख्या-6.2

वर्षवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्थापना का लक्ष्य

वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
लक्ष्य	43	–	–	–	–	–	–

6. नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था :-

सर्व शिक्षा अभियान के तहत खोले जाने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय को उच्चीकृत किये जायेगा।, ताकि आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि सुविधा प्राथमिक विद्यालय में ही उपलब्ध हो सके। फलस्वरूप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, चहारदीवारी आदि मदों पर बचत सम्भव हो सके।

7. विद्यालय निर्माण एवं तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चहार दीवारी आदि का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। समस्त विद्यालयीय निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा या लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यकत विस्तृत विवरण अध्याय–10 के विषय परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

वर्षवार शिक्षकों की आवश्यकता का आगणन

वर्ष	नवीन प्रा.वि.	प्रा.अ.	स.अ.	शिक्षा मित्र	नवीन उ.प्र.वि.	प्र.अ.	स.अ
2003–04	–	–	–	–	43	43	86
2004–05	–	–	–	–	–	–	–
2005–06	–	–	–	–	–	–	–
2006–07	–	–	–	–	–	–	–

अध्याय-7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार-II

(अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा/शिक्षा गारंटी एवं नवाचार शिक्षा)

सर्व शिक्षा अभियान में अनौपचारिक शिक्षा के स्वरूप को बदल कर शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा को लाया जा रहा है। ऐसे बच्चे जो औपचारिक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा नहीं ले पाते हैं उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था की गयी है। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र 6–14 वयवर्ग के बच्चों को शिक्षा सुविधा सुलभ कराने का एक सशक्त माध्यम है। 6–14 वयवर्ग के वे बच्चे जो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। पैतृक व्यवसाय में लग जाते है, कारखानों में काम करने लगे, बालश्रमिक बन गये, पढ़ने की इच्छा रखते हुए भी विद्यालयीय समय नहीं दे सके। ऐसे अपवाछित असुविधाग्रस्त बालक/बालिकाओं को उनकी सुविधानुसार वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करने की व्यवस्था की जा रही है। परिवार सर्वेक्षण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की पहचान की गयी जिनका विवरण निम्नवत् है।

सारणी 7.1

विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या कारण सहित

हाउसहोल्ड सर्वे जून 2003

कारण	बालक			बालिका			
आयुवर्ग	5^+–6+	7^+–10+	11^+–14	5^+– 6+	7^+–10+	11^+–14	योग
घर के कार्य में लगे रहना।	5733	991	4077	540	1621	5501	18463
मजदूरी करना	663	235	1507	185	154	800	3544
भाई बहनों की देखभाल करना	7789	2693	1264	7251	3872	1326	24195
विद्यालय का दूर होना	498	314	504	766	528	335	2945
अन्य	24375	4261	1687	24958	570	1015	57766
योग	39058	8494	9039	33700	6745	9877	106913

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत व्यक्तिगत सम्पर्क जनजागरण रैली, आदि के माध्यम से जनपद में उक्त बच्चों में से 87888 बच्चों का नामांकन परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराकर शिक्षा की मुख्य धारा में लाया गया शेष 19025 बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान कराने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित किये जाते है।

1. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्ताव

सारणी संख्या : 7.2

इन्टरवेन्सन्स एवं प्रस्तावित कार्यक्रम	वर्ष 2003–03 सं0 बच्चे	2003–04 सं0 बच्चे	2004–05 सं0 बच्चे	2005–06 सं0 बच्चे	2006–07 सं0 बच्चे
1. छोटे बच्चों की देख–भाल करने वाले बच्चे हेतु क. ई.सी.सी. ई. केन्द्र	– –	– –	165 3330	165 3330	165 3330
2. विद्यालय का दूर होना					
क. ई.जी.एस. केन्द्र	– –	– –	217 5425	292 7300	292 7300
ख. मकतबों का सुन्दरीकरण	– –	– –	15 450	15 450	15 450
3. घरेलू कार्यों में लगे रहना					
क. ए.आई.ई. (प्रा0वि0)	– –	– –	40 1000	48 1200	48 1200
ख. ए.आई. (उ0प्रा0वि0)	– –	42 1050	42 1050	42 1050	42 1050
ग. स्कूल वापस चलो शिविर	– –	– –	44 1760	44 1760	22 880
4. मजदूरी करना					
क. ब्रिज कोर्स (प्रा0वि0)	– –	1 50	2 100	2 100	2 100
ख. ब्रिज कोर्स (एन.पी.आर.सी.)	– –	218 8720	169 6760	169 6760	169 6760
योग	– –	19025	21750	21950	21070

डी.पी.ई.पी.–।।। के अन्तर्गत संचालित ई.जी.एस. व ए. एस. केन्द्र

	स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	संचालित केन्द्र 2000–01	2001–02 में संचालित	नामांकित बच्चे		
				बालक	बालिका	योग
ई.जी.एस. ए.एस. / मकतब	75	38	37	1072	1195	2267
	75	8	67	1212	1492	2714

4. शिक्षा गारण्टी योजना (ई0जी0एस0 केन्द्र)

ऐसे बच्चे जो 6–8 वर्ष के हैं और 1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित विद्यालयों में पढ़ने नहीं जा रहे है उनके लिए कक्षा–1 व 2 की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ई0जी0एस0 शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। इन केन्द्रों पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराया जायेगा। इन केन्द्रों पर कम से कम 30 बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे।

ई0जी0एस0 में शिक्षण हेतु आचार्य का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जायेगा। तथा उसे दक्ष बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

सारणी संख्या-7.2

5–वर्षवार ई0जी0एस0 केन्द्र खोलने का विवरण

वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
केन्द्र संख्या	–	217	292	292

6. नवाचार

विद्यालय में बच्चों का प्रवेश उनके अभिभाव उनकी इच्छा के विरूद्ध करा देते हैं। बच्चे विद्यालय में अनमने भाव से आते हैं, या किसी–किसी दिन नहीं आते हैं, जिसका मुख्य कारण यह है कि विद्यालय का वातावरण उनके घर के वातावरण से भिन्न होता है। घर पर वे अपने समवयस्क के साथ खेलते हैं तथा आनन्दित होते हैं। यदि बच्चों को ऐसा ही वातावरण विद्यालयों में भी उपलब्ध करा दिया जाय तो बच्चों का विद्यालय से पलायन रुक जायेगा। प्रवेश के बाद लगभग दो माह तक ऐसे बच्चों को मनोरंजन कार्यक्रम के द्वारा विद्यालय के प्रति उनके झुकाव को बढ़ाया जा सके। नवाचार के अन्तर्गतम निम्नलिखित मनोरंजन कार्यक्रमों की व्यवस्था की जायेगी।

1. बच्चों को खेलने के लिए विद्यालय द्वारा गेंद व बल्ले की व्यवस्था।
2. रंग बिरंगे गुटकों की आकृतियाँ बनवाना।
3. जीव–जन्तुओं के चित्रों का कटआउट देकर जुड़वाना।
4. कागज पर रंगीन पेंसिलों से चित्र बनवाना।
5. बाल सुलब कविताओं को नाच–गान व भाव भंगिमा से गवांना।
6. मिट्टी की गोलियाँ बनवाना एवं खिलौने बनवाना। कागज की नाव व अन्य आकृतियाँ बनवाना आदि।

उपरोक्त मनोरंजन खिलौने के प्रयोग के द्वारा बच्चों को धीरे–धीरे लिखन व सीखने की आदत विकसित की जायेगी। बच्चों के पलायन को रोकने के लिए विद्यालयों को निम्नलिखित सामग्री देने का प्रस्ताव है।

1. रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, डम्बल, लेजिम आदि।

2. ढोलक, हारमोनियम, मजीरा, बाँसुरी आदि।

3. प्लास्टिक के रंग बिरंगे गुटके, चित्रों के कटआउट आदि।

4. चित्रों से युक्त कहानी की पुस्तकें।

5. चार्ट, कैंची, रंगीन पेंसिल आदि।

उपरोक्त नवाचार कार्यक्रम मुख्य रूप से कक्षा–1 के बच्चों को सत्र के प्रारम्भ में लगभग दो माह तक चलाया जायेगा, ताकि सत्रांत तक उनका ठहराव सुनिश्चित कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रत्येक विद्यालय में एक अध्यापक को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

कम्प्यूटर शिक्षा :

नवाचार शिक्षा के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि हेतु कम्प्यूटर शिक्षा हेतु जिले के पाँच चयनित विद्यालयों में कम्प्यूटर की स्थापना की जायेगी। इसके लिए रूपये 5 लाख की एक मुश्त धनराशि सर्व शिक्षा ज्ञान के अन्तर्गत प्राविधानिक है। विद्यालयों का चयन ऐसे स्थानों पर की जायेगी जहाँ बिजली की व्यवस्था होगी तथा बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत अपेक्षाकृत कम होगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय विवरंण निम्नवत् होगा।

1.	कप्यूटर साफ्टवेयर रू0 60 हजार / यूनिट	= 300000/–
2.	कम्प्यूटर आपरेटर का मानदेय रू0 2000 प्रति माह	= 120000/–
3.	बिजली व्यवस्था जनरेटर आदि रू0 12000/–	
4.	फर्नीचर एवं काठोपकरण रू0 20000/–	
5.	स्टेशनरी आदि 30000/–	
	कुल व्यय	482000/–

7. शिक्षा घर

जनपद जौनपुर के 6–14 वर्ष के ऐसे बच्चे विद्यालयीय शिक्षा से वंचित हैं, कामकाजी या बालश्रमिक बन गये हैं। अपनी तथा परिवार की रोजी रोटी से सम्बन्धित कार्य में लगे रहने के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए शिक्षा घर की व्यवस्था की गयी है। शिक्षा घर प्रतिदिन 4 घण्टे का होगा। शिक्षा घर में 30 बच्चे नामांकित होंगे। शिक्षा घर लड़कियों की बहुलता वाले स्थानों पर खोले जायेगें।

इन शिक्षा घरों के संचालन के लिए कक्षा–10 उत्तीर्ण अनुदेशक/अनुदेशिका की व्यवस्था की जायेगी। इन अनुदेशकों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। शिक्षा घर के संचालन व्यवस्था हेतु लालटेन, मिट्टी का तेल, चार्ट, पुस्तकें आदि निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

शिक्षा घर खोले जाने का वर्षवार लक्ष्य

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
लक्ष्य	–	–	40	48	48

8. ब्रिज कोर्स

6–11 वयवर्ग बच्चे जो किसी कारण से किसी कक्षा की पढ़ाई छोड़ देते हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स की अनोखी व्यवस्था की गयी है। शालात्याग चुके बच्चों को 3, 6 या 9 माह का विशेष शिविर शिक्षण के माध्यम से शिक्षित किया जायेगा, जिससे वे अपनी योग्यतानुसार प्राथमिक शिक्षा के किसी निश्चित स्तर को प्राप्त कर सकें। शिविर शिक्षण अवधि में बच्चों का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जायेगा, तथा जैसे ही वे किसी कक्षा स्तर का ज्ञान प्राप्त कर लेगें उन्हें उस कक्षा में प्रवेश दिला दिया जायेगा। इस ब्रिज कोर्स द्वारा विशेषकर अनुसूचित जाति के बच्चों तथा बालिकाओं की शालात्याग समस्या का समाधान किया जायेगा लक्ष्य निम्नांकित है–

ब्रिजकोर्स संचालन का वर्षवार लक्ष्य

वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
लक्ष्य	2	2	2	2

9. मकतबों का सुदृढ़ीकरण

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड शाहगंज, मछलीशहर तथा नगर क्षेत्र में मकतबों की बहुलता है। जनपद जौनपुर में कुल 57 मकतब संचालित हैं। इन मकतबों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन मकतबों के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है। जनपद जौनपुर के विकास खण्डवार खोलने योग्य वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का विवरण निम्नवत है :–

सारणी संख्या-7.3

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रम			
		ई.सी.एस.	शिक्षा घर	ब्रिज कोर्स	मकतब सुदृढीकरण
1.	करंजाकला	12	2	–	1
2.	धर्मापुर	5	–	01	–
3.	बक्शा	9	03	–	1
4.	सिकरारा	13	03	–	–
5.	सिरकोनी	10	–	01	–
6.	बदलापुर	11	04	–	1
7.	महराजगंज	10	03	–	2
8.	मड़ियाहूँ	10	02	–	–
9.	रामनगर	12	–	–	–
10.	रामपुर	10	05	–	–
11.	बरसठी	10	05	01	–

12.	मछलीशहर	12	2	—	2
13.	सुजानगंज	9	02	—	2
14.	मुँगराबादशाहपुर	10	03	01	02
15.	केराकत	12	2	—	—
16.	जलालपुर	8	—	—	—
17.	मुफ्तीगंज	7	2	01	—
18.	डोभी	10	—	01	—
19.	शाहगंज	7	2	01	—
20.	सुइथाकला	9	03	—	—
21.	खुटहन	12	03	—	—
22.	नगर क्षेत्र	4	—	—	2
	महायोग	217	48	8	15

10- अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

जनपद के 11–14 वर्ष के सभी बच्चे जो किसी कारण से नियमित शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं, उनके लिए नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशेष समूह की आवश्यकताओं तथा बाद में उनकको औपचारिक विद्यालयों तथा बाद में उनका औपचारिक विद्यालयों में सम्मिलित किये जाने की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इनोवेटिव मॉडल्स विकसित किये जायेगें। नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिवन मॉडल विकसित करने के उद्देश्य से धन की व्यवस्था की जायेगी। इस कार्य में तैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों व अनुभवनी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता ली जायेगी।

11-ई0जी0एस0-वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तथा लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जनपद के अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण का दायित्व सौपा जायेगा। समाचार पत्रों में विज्ञपित प्रकाशित कर स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता आमन्त्रित की जायेगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं सन्दर्भित व्यक्तियों के सहयोग से स्व्यंसेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयंसेवी संगठनों के कार्य–क्षेत्र एवं तत्सम्बन्धी राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी। उच्चाधिकार प्राप्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदनोपरानत जनपद में चयनित स्वयंसेवी संगठनों द्वारा एजूकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पि शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

अनुदेशक प्रशिक्षण

ई.जी.एस., वैकल्पिक शिक्षा, नवाचार शिक्षा, मकतवों का सुदृढ़ीकरण आदि कार्यक्रमों में जिन आचार्य जी, अनुदेशकों की नियुक्ति की जायेगी इनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई। इनका 30 दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षाण संस्था/ब्लाक संसाधन केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा। इनका प्रशिक्षण डायट के प्रवक्ताओं ब्लाक रिर्सोस पर्सन तथा योग्य अध्यापक, संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से कराया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु रू0 1500/– प्रति अनुदेशक की दर से धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में अनुदेाक को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय नहीं होगी।

सूक्ष्म नियोजन/परिवार सर्वेक्षण ऑकड़ों का वार्षिक अध्यावधिकरण :-

माइक्रो प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6–11 व 11–14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित किया जाता है। अण्डर ऐज व ओवर ऐज बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विभिन्न आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र संशोधित कर अतिरिक्त सूचनायें प्राप्त की जायेंगी। प्रति वर्ष घर–घर सर्वेक्षण ऑकड़ों को अद्यतन किया जायेा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू0 50000/– की वित्तीय व्यवस्था प्राविधानित है माइक्रो प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11–14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एस0पी0ओ0 द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार जनपद में 11–14 आयु वर्ग के 30364 आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये । आगामी वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्राप आउट किया गया है।

विद्यालय वापस चलो कैम्प :-

ऐसे बालक–बालिकायें जो शाला त्याग देती है उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय वापस चलो कैम्प की स्थापना की जायेगी। इन बच्चों को अल्प अवधि में इस कैंप के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। इस कैम्प का प्रस्ताव निम्न प्रकार से किया जा रहा है।

सारणी संख्या-7.4

स्कूल वापस चलो कैम्प का प्रस्ताव

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
कैम्प की संख्या	–	–	44	44	22

अध्याय-8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

जनपद में सबके लिए शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।।। के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा में आमूल–चूल परिवर्तन हेतु पॉच वर्ष के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनायी गयी है, जो अपने अवधि काल का तृतीय वर्ष पूर्ण करने जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। जैसे–समुदाय में प्राथमिक शिक्षा के प्रति रूचि पैदा करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मातृ शिक्षक संघों का गठन, जर्जर विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण, शौचालय निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, अनुसूचित जाति/जनजाति के बालक एवं सम्पूर्ण बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें का वितरण आदि कार्यक्रम संचालित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य राज्य सरकार द्वारा अन्य बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा पिछड़े एवं अनुसूचित, अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण, सभी बच्चों को खाद्यान्न वितरण की लुभावनी योजनायें संचालित हैं।

उच्च प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में अभी तक कोई ठोस कार्यक्रम संचालित नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत यह प्रयास किया जायेगा कि विद्यालयी सभी मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित हो जाय। मूलभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर द्वारा व्यापक सर्वेक्षण कर गांव स्तर पर आवश्यकताओं की पहचान करायी गई। वर्ष 2003–2004 में निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित है।

सारणी संख्या 8.1

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाकक्ष

वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	40:1 दर से कक्षा–कक्ष	वर्तमान कक्षा–	नवीन विद्यालय कक्ष	योग (4+5)	आवश्यक कक्षा–कक्ष	एस.एस.ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित कक्षाकक्ष
2004–05	488737	12218	11969	0	11979	340	340
2005–06	498512	12463	12218	0	12218	244	344
2006–07	508482	12712	12463	0	12463	249	349

सारणी संख्या 8.2

विद्यालयों में शौचालय एवं चहारदीवारी की आवश्यकता (ब्लाकवार)

क्र0सं0	विकास खण्ड	शौचालय		चहार दीवारी	
		प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0
1.	सुइथाकला	61	10	90	14
2.	शाहगंज	20	11	100	14
3.	खुटहन	50	8	91	11
4.	करंजाकला	12	7	91	16
5.	बदलापुर	51	5	92	9
6.	महराजगंज	52	12	88	12
7.	बक्शा	81	11	114	13
8.	सुजानगंज	50	9	102	10
9.	मुँगराबादशाहपुर	37	5	85	6
10.	मछलीशहर	53	13	106	18
11.	मड़ियाहूँ	80	3	116	7
12.	बरसठी	35	2	88	13
13.	सिकरारा	66	4	93	6
14.	धर्मापुर	21	03	50	13
15.	रामनगर	32	6	95	10
16.	रामपुर	23	8	38	5
17.	मुफ्तीगंज	21	5	66	14
18.	जालालपुर	50	10	77	12
19.	केराकत	72	10	100	13
20.	डोभी	31	7	89	10

21.	सिरकोनी	52	7	75	10
22.	नगर क्षेत्र	40	4	36	6
23.	डी.पी.ई.पी. योजना से स्थापित होने वाले	—	—	—	—
	सम्पूर्ण योग	**990**	**160**	**1882**	**242**

(क) विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण

जनपद में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के 178 भवन जर्जर है, जिसमें से प्राथमिक विद्यालय 135 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय 13 हैं। इनकी कक्षायें पेड़ के नीचे अथवा खुले मैदान में संचालित की जाती है, जिस से वर्षा एवं धूप के कारण शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, तथा मध्यावकाश के बाद पुनः बच्चे विद्यालय वापस नहीं आते हैं, जिससे शालात्याग की दर में वृद्धि होती है। इसको रोकने के लिए 13 उ0प्रा0 विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण प्रस्तावित है।

वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
लक्ष्य उ0प्र0वि0	**13**	—	—	—
प्र.वि.	—	—	—	—

(ख) अतिरिक्त कक्षा-कक्ष

जनपद में वर्ष 2003–04 में कुल परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या 479154 होगी जिनके पढ़ने के लिये 40:1 के अनुसार 11979 कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी किन्तु वर्तमान विद्यालयों में कुल 11298 कक्षा कक्ष उपलब्ध हैं।

प्रस्तावित अति0 कक्षाकक्ष

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
लक्ष्य	—	—	340	344	349

(ग) शौचालय निर्माण

जनपद में डी0पी0ई0पी0–।।। योजना अन्तर्गत कुल 439 शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका हैं। शेष 990 प्राथमिक विद्यालयों में इस योजना में शौचालयों की आवश्यकता है। तथा उ0प्र0 वि0 में 160 शौचालयों की आवश्यकता है। जैसा कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

शौचालय निर्माण का वर्षवार लक्ष्य

वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
संख्या	250	300	300	300

(घ) हैण्डपम्प

जनपद जौनपुर में जिला योजना तथा अन्य योजनाओं द्वारा हैण्डपम्प स्थापना हेतु पर्याप्तमात्रा में धन उपलब्ध कराया गया है। जिससे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इण्डियामार्का–।। हैण्डपम्प लगाये जा रहे है।

(ङ) चहारदीवारी

जनपद में चहारदीवारी विहीन कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1882 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 242 है। राज्य सरकार द्वारा चहारदीवारी की मानक लागत रू0 40,000/– रखी गयी है। अधिक लागत आने पर समुदाय द्वारा अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी। एस0एस0ए0 के अन्तर्गत चहारदीवारी निर्माण का लक्ष्य निम्न है–

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
लक्ष्य	–	–	708	708	708

(च) मरम्मत एवं रख-रखाव

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।।। के अन्तर्गत जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालयों को रख–रखाव हेतु रू0 5000/– की धनराशि की व्यवस्था है। इसी प्रकार विद्यालय विकास अनुदान के रूप में रू0 2000/– की धनराशि भी उपलब्ध करायी जा रही है। इसकी परिधि में अनुदानित विद्यालय भी लाये गये है जिनका वितरण निम्नवत् हैं।

तालिका–

परिषदी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या

स्तर	वर्ष 2002–03			2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	परि.	स0प्रा0	योग	परि.	स0प्रा0	योग	परि.	स0प्रा0	योग	परि.	स0प्रा0	योग	परि.	स0प्रा0	योग
प्रा0वि0	2035	16	2051	2035	16	2051	2035	16	2051	2035	16	2051	2035	16	2051
उ0प्रा0वि0	–	–	–	380	217	597	380	217	597	380	217	597	380	217	597

प्रारम्भिक शिक्षा में योगदान करने वाले परिषदीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को भी टी.एल.एम. हेतु रू0 500/– प्रति शिक्षक की दर से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षकों का विवरण निम्नवत् है।

सारिणी–

वर्षवार शिक्षकों की संख्या जिन्हें टी.एल.एम. उपलब्ध कराया जायेगा।

स्तर	वर्ष 2002–03			2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	परि.	स0प्रा0	योग	परि.	स0प्रा0	योग	परि.	स0प्रा0	योग	परि.	स0प्रा0	योग	परि.	स0प्रा0	योग
प्रा0वि0	–	–	–	210	48	258	10489	48	10597	10702	48	10750	10919	48	10967
उ0प्रा0वि0	1008	–	1008	1469	651	2120	1267	651	1918	1267	651	1918	1267	651	1918

लघु-दीर्घ मरम्मत

जनपद में कुल मरम्मत योग्य प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 338 है। जिसमें से 192 प्राथमिक विद्यालय एवं 46 उच्च प्राथमिक विद्यालय है। लघु एवं वृहद मरम्मत हेतु क्रमशः रूपये–20000 तथा रू0 70000 का प्राविधान प्रति विद्यालय किया गया है। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहद मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार परियोजना कार्यालय का होगा। दीर्घ मरम्मत का कार्य वर्ष 2004–05 में पूर्ण कराया जायेगा। दीर्घ मरम्मत में प्रा0विद्यालय 170 तथा उ0प्र0वि0 27 प्रस्तावित है इसी प्रकार लघु मरम्मत में प्रा0विद्यालय 168 तथा उ0प्र0 वि0 19 प्रस्तावित है। निर्माण का लक्ष्य निम्न सारणी में है–

वर्ष	लघु मरम्मत	भारी मरम्मत
2004–05	169	169

अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक		योग (3+4) कक्षा	40:1 दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक	एस.एस.ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित अति. शि.	अति0 शि0 मि0
2003–04	419560	6753	1690	8443	10489	2026	1023	
2004–05	428077	7776	2713	10489	10702	213	106	1130
2005–06	436767	7882	2820	10702	10919	217	108	109
2006–07	445633	7990	2929	10919	11141	222	111	111

बालिका शिक्षा

राष्ट्र की उन्नति एवं विकास के लिए सभी जनसमुदाय का शिक्षित होना आवश्यकत है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान ने 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चें को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के प्राविधान के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है। प्रारम्भिक शिक्षा को भी मौलिक अधिकार में सम्मिलित करते हुए पंचवर्षीय योजनओं में संविधान में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वचनबद्धता का समर्थन किया हैं, तथा अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आरम्भ किया है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा उसके पश्चात् 1993 से प्रारम्भ की गयी कार्य नीति के अन्तर्गत महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा को इनके स्तर में बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र के रू प में स्थापित किया गया है। महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने एवं प्रारम्भिक शिक्षा तक उनकी पहुँच एवं धारण में आने वाले कठिनाइयों को दूर करने की प्राथमिकता दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय दर 52.2 प्रतिशत के विपरीत 41.6 प्रतिशत है। जिसमें महिलाओं की राष्ट्रीय साक्षरता दर 25.3 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर कई जनपदों में 7 प्रतिशत से भी कम है।

जनपद जौनपुर की महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में 43.5 हैं जबकि सम्पूर्ण साक्षरता दर 59.98 प्रतिशत है। जनपद की ब्लाकवार महिला साक्षरता दर वर्ष 1991 की सारणी संख्या–8.1 में दर्शायी गयी है।

सारणी संख्या-8.3

बालिका साक्षरता दर ब्लाकवार (वर्ष 1991)

क्र0सं0	वि0खं0 का नाम	साक्षरता दर
1.	सुइथाकला	20.7
2.	शाहगंज	21.1
3.	खुटहन	20.9
4.	करंजाकला	16.1
5.	बदलापुर	20.8
6.	महराजगंज	20.9
7.	बक्शा	22.3
8.	सुजानगंज	18.9
9.	मुँगराबादशाहपुर	15.5
10.	मछलीशहर	14.8
11.	मड़ियाहूँ	18.1
12.	बरसठी	19.2
13.	सिकरारा	22.9
14.	धर्मापुर	21.2
15.	रामनगर	20.9
16.	रामपुर	19.2
17.	मुफ्तीगंज	23.8
18.	जलालपुर	28.5
19.	केराकत	26.2
20.	डोभी	25.9
21.	सिरकोनी	20.6
	सम्पूर्ण ग्रामीण	20.6
	नगरीय	48.0
	महायोग	22.3

स्रोत – एन.आई.सी. जौनपुर 1998

नोट– वर्ष 2001 की ब्लाकवार साक्षरता दर उपलब्ध नहीं है।

जनगणना 2001 के अनुसार जनपद जौनपुर की कुल साक्षरता 59.98 है, जिसमें पुरूषों की साक्षरता 77.16 तथा महिलाओं की साक्षरता 43.53 है।

बालिकाओं की शिक्षा के अवरोधक तत्व

बालिकाओं के नामांकन एवं शालात्याग के कारण जटिल है। इनमें संरचनात्मक कारण जैसे बस्तियों में स्कूलों का अभाव, महिला शिक्षकों का अभाव, आर्थिक बाध्यता और समाज में प्रचलित सांस्कृतिक धारणायें और अन्धविश्वास जटिल कारण है। बालिकाओं के लिए शिखा की मांग न होना ही उनके न्यूनतम नामांकन का मुख्य कारण है, जबकि यह दर्शाया जाता है कि बालिकाओं के लिए शैक्षिक सुविधायें अपर्याप्त हैं। स्कूल का वातावरण भी ऐसा है, जो बालिकाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित नहीं कर पाता है। और नही उसकी विशेषताओं को उभारता है। कढ़ाई, शादी, त्योहार मेलों के अवसर पर भी इनकों घर पर ही रोक लिया जाता है जिससे स्कूल की उपस्थिति में भारी कमी हो जाती है।

जागरूकता क्रिया कलापों के द्वारा बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय वातावरण बनाये जाने पर जोर।

जेन्डर संवेदनशील बनाना जिससे समाज बालिकाओं की शिक्षा को समानता और सहजता से समझ सके।

महिला तथा बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने तथा जोर देने वाली सामग्री विकसित करना।

शिक्षकों को कक्षा में जेण्डर भेदभाव आधारित क्रियाकलापों को राकने हेतु प्रशिक्षित किये जाने के लिए प्रशिक्षण माड्यूल विकसित करना।

प्राथमिक शिक्षा से उच्च स्तर के विद्यालयों में बालिकाओं को जोड़े रखने की रणनीति से कार्य करना। कार्यानुभव पर आधारित शिक्षा को महत्व देना।

ई0सी0सी0ई0 तथा अन्य वैकल्पियक शिक्षा केन्द्र स्थापित करना।

महिला समाख्या कार्यक्रम, महिलाओं को शिक्षा के लिए संगठित करना।

ग्रीष्मकालीन शिविर

ऐसे गांव/ग्रामसभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शालात्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी, उसमें 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर चलाकर पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा। ग्रीष्मकालीन शिविर कैम्पों की संख्या प्रति वर्ष 10 प्रस्तावित की गयी है, ग्रीष्मकालीन शिविरों का लक्ष्य वर्ष 2002–03 से 2006–07 हेतु निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

वर्षवार आयोजित किये जाने वाले शिविरों का विवरण

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
लक्ष्य	10	10	10	10	10

बेटी हो स्कूल में-कला जत्था अभियान

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ के यह सुनिश्चित करने के लिए बेटी हो स्कूल' में– कला जत्था अभियान, चलाया जायेगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गांव–गांव में नाटकों की प्रस्तुतियाँ की जायेगी। यह अभियान ऐसे गांवों में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है, तथा बालिका शालात्याग दर अधिकतम है।

ग्राम शिक्षा समितियों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण

बालिका शिक्षा के प्रति समुदाय का नजरिया बदलने तथा उन्हें बालिका शिक्षा कगे प्रति संवेदनशील बनाने हेतु अलग से ग्रा0 शिक्षा समितियों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से अभिभावकों का विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों, उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा/अभ्यास कर उनको बालिकाओं को बालकों के बराबर शिक्षा दिलाने हेतु संवेदनशील बनाया जायेगा। वर्ष 2003–04 एवं 2006–07 में 1517 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

कार्यक्रम

1. शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना

छोटे भाई बहनों की देख–रेख में लगे रहने के कारण कुछ बालिकायें विद्यालय हेतु पर्याप्त समय नहीं दे पाती, जिससे विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित नहीं हो पाता। कुछ बालिकायें इन कार्यों में अधिक व्यस्त रहने के कारण विद्यालय छोड़ देती है।

इस अभियान के अन्तर्गत जनपद में संचालित एवं उनके माध्यम से संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को अधिक प्रभावी तथा इन केन्द्रों में 3–6 वय वर्ग के बच्चों का नामांकन कराने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा। इस हेतु केन्द्रों को अतिरिक्त मानदेय एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। इस जनपद में आई0सी0डी0एस0 विभाग के केन्द्रों को डी0पी0ई0पी0 के द्वारा प्रतिवर्ष 50 केन्द्र सुदृढ़ीकरण हेतु लिए गये हैं। जनपद के जिन विकास खण्डों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन नहीं किया जा रहा है, और जो महिला साक्षरता की दृष्टि से पिछड़े हैं उनमें प्रति विकास खण्ड 14–20 केन्द्र खोले जायेंगे। केन्द्रों हेतुं ग्राम विद्यालय का चयन न्यूनतम महिला साक्षरता, उच्च शालात्याग दर तथा शैक्षिक पिछड़ापन ही होगा। सर्व शिक्षा के कुल 165 केन्द्र प्रस्तावित है।

पूर्ण प्राथमिक शिक्षा में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता

बालिका शिक्षा के बढ़ावा के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई0 सी0 डी0एस0 के आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं संचालित हैं, उन विकासखण्डों में स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा शिशु शिक्षा केन्द्रों के संचालन की व्यवस्था की जायेगी। उनके अभिकर्मियों, कार्यकत्रियों को प्रशिक्षण एवं उन्हें संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। स्वयंसेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी। जिले स्तर पर ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। स्वयंसेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

मॉडल क्लस्टर डबेलपमेन्ट अप्रोच

प्रत्येक विकास खण्ड के चयनित न्याय पंचायत को मॉडल क्लस्टर के रूप में विकसित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत बहुत से कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे, जिनसे न्याय पंचायत की समस्त ग्राम सभाओं में 6–14 वय वर्ग की बालिकाओं का शतप्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। इन कार्यक्रमों में ग्रीष्मकालीन शिविर, किशोरी संघों का गठन, जीवन कौशल से सम्बन्धित प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। जनपद जौनपुर डी0पी0ई0पी0–।।। से आच्छादित होने के कारण वर्ष 2004–05 तक यह कार्यक्रम डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रम के अर्न्तगत संचालित किया जायेगा।

सारणी

वर्षवार आयोजित किये जाने वाले एम0सी0डी0ए0 का विवरण

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
सं0	5	0	5	5	5

विशेष नामांकन अभियान

चयनित क्लस्टर में पी0आर0ए0 विधि में सूक्ष्म नियोजन किया जायेगा। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विशेष क्षेत्रों हेतु नामांकन अभियान चलाया जायेगा। सभी सक्षम समूहों की बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा उन्हें नियमित विद्यालय में रहकर उनके शैक्षिक सम्प्राप्ति को सुनिश्चित किया जायेगा। इस कार्य के लिए स्थानीय शैक्षिक संस्थाओं और समुदाय की महिला प्रेरक समूहों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। इस अभियान में मीना कैम्पेन, मॉ–बेटी मेला का आयोजन, ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण, माता–शिक्षक संघों, महिला प्रेरक समूहों का गठन तथा प्रशिक्षण तथा सेवारत शिक्षा / बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय को समाजोपयोगी उत्पादन कार्य सम्बन्धी शिक्षा प्रस्तावित है। वर्षवार सम्पादित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है।

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
लक्ष्य	–	–	244	244	244

निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण

आकर्षक एवं उपयोगी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का महत्व छात्र नामांकन एवं ठहराव में विशेष है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भाँति सर्व शिक्षा अभियान में भी अनुसूचित जाति के सभी छात्र–छात्राओं एवं अन्य वर्ग की सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित करने का प्रस्ताव है। निशुक्ल पाठ्य पुस्तकें सहायता प्राप्त प्रा0वि0 एवं उ0प्रा0वि0 के उक्त बच्चे भी प्राप्त कर सकेंगे। वर्ष 2002–03 से वर्ष 2006–07 तक वितरण लक्ष्य निम्नवत है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्रा0वि0	–	5850	311406	317821	324366
उ0प्रा0वि0	96484	69745	98487	99964	101463

सारणी सं0-8.5

छात्र संख्या अनुसूचित जाति बालक तथा सभी बालिकाएं (परिषदीय एवं सहायता प्राप्त)

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्रा0वि0	–	5850	311406	317821	324366
उ0प्रा0वि0	96484	69745	98487	99964	101463

विशेष वर्ग की शिक्षा-समेकित शिक्षा

भारत की लगभग 5–10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाता है।

बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहां बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है।

विकलांगता/अक्षमता के प्रकार

मुख्य रूप से विकलांगता पॉच प्रकार की होती है।

1. दृष्टि विकलांगता।
2. श्रवण एवं वाणी विकलांगता।
3. अस्थि विकार विकलांगता।
4. मानसिक मन्दता।
5. अधिगम अक्षमता।

विकलांगता/अक्षमता के कारण

बच्चों में कुछ विकलांगतायें/अक्षमतायें जन्म से होती हैं तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती हैं। कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित होती हैं। बच्चों की अधिगम अक्षमता के निम्न कारण हो सकते हैं:–

1. बौद्धिक क्रिया–कलाप का निम्न स्तर एवं विकास की मन्द गति।
2. देखने में कठिनाई, सुनने व बोलने में कठिनाई।
3. हाथ–पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ–पैर का न होना, अंगों की विकृति, मॉस–पेशियों के तालमेल न होने से क्रियाकलाप में कठिनाई।
4. मनौवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे–प्रत्याक्षीकरण, अवधान, स्मृति विषयक समस्यायें।
5. दृष्टि तथा मांस–पेशियों में तालमेल न होना।
6. कुछ कारण बच्चों के घर परिवार एवं विद्यालय से सम्बन्धि होते है।
7. माता–पिता के स्नेह में कमी।

8. बच्चों को हीन भावना से कमी।

9. सीखने के समान अवसर न मिलना।

10. शिशु स्तर पर लालन–पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना।

11. शिक्षक का बच्चों से कम लगाव होना।

12. सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

अक्षमता के परिणाम

1. बच्चों में

क– आत्मनिर्भरता में कमी

ख– चलने में परेशानी

ग– समाज में उपेक्षित

2. परिवार में

क– अधिक ध्यान देने की आवश्यकता

ख– आर्थिक बोझ अधिक

3. समाज में

क– ध्यान देने की आवश्यकता

ख– उत्पादन में कमी

ग– समाज में एकीकरण में कमीं

अक्षम बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियाँ हैं। बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है, जबकि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती। केवल अध्यापक को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यकता होता है। विशेष प्रकार की तकनीक की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिए होती है जिनका रोग असाध्य या गम्भीर रूप धारण कर चुका है।

समेकित शिक्षा के उद्देश्य

1. कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को प्राथमिक विद्यालय बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना।

2. 6–14 वय वर्ग के विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह सामान्य अवसर प्रदान करना।

3. स्कूल में ऐसा वातावरण बनाना जिससे कि इन बच्चों में आत्मसम्मान एवं आत्मविकास की भावना का विकास हो।

4. समुदाय एवं अभिभावकों का संवेदीकरण /निर्देशन एवं उनका सहयोग प्राप्त करना।

5. कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना।

6. विकास खण्ड एवं जिले स्तर पर रिसोर्स सेन्टर्स की स्थापना करना।

समेकित शिक्षा के अन्तर्गत निम्नकार्य किये जाने हैं:–

1. विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हीकरण।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का प्राथमिक रूप से चिन्हान्कन माइक्रोप्लानिंग में किये जाने वाले परिवार सर्वेक्षणों से किया जाता है। देखने–सुनने एवं बच्चों के कार्यकलापों से प्राथमिक रूप से ज्ञात हो जाता है कि किस प्रकार कि विकलांग्ता है। गत वर्ष एवं 2001–02 में कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर जनपद जौनपुर की श्रेणी वार विकलांगता निम्न सारणी में प्रदर्शित है। इसके अतिरिक्त वर्तमान शिक्षा सत्र 2003–04 में परिवार सर्वेक्षण के आधार पर विकलांग बच्चों की पहचान की गई जिनकर संख्या सारणी 3.3 व 3.4 में प्रदर्शित है।

सारणी संख्या-8.6

विकलांग बच्चों का चिन्हांकन

चयनित 02 विकास खण्ड (2001-2002)

क्र0 सं0	विकलागता का प्रकार	चयनित विकास खण्ड						शेष विकास खण्ड			सम्पूर्ण योग		
		करंजाकला			बक्शा								
		बाल.	बालि.	योग	बाल.	बालि.	योग	बाल.	बालि.	योग	बाल.	बालि.	योग
1.	दृष्टिदोष	13	7	20	20	23	53	170	122	292	213	152	365
2.	श्रवण/ वाणी दोष	10	5	15	37	16	53	166	130	296	213	151	364
3.	मानसिक विकलांगता	24	14	38	34	15	49	140	99	239	198	128	326
4.	शारीरिक विकलांगता	40	29	69	123	85	208	601	407	1008	764	521	1285
5.	अधिगम	25	27	52	9	1	10	11	9	20	45	37	52
	योग	112	82	194	233	140	373	1088	767	1855	1433	989	2422

प्राथमिक विद्यालय में इन्टीग्रट किए गये बच्चों की संख्या (2001–02)

में स्कूल चलो अभियान के पश्चात् नामांकित बच्चों के आधार पर

सारणी संख्या-8.7

चयनित विकास खण्ड

क्र0सं0	विकास खण्ड	बालक	बालिका	योग
1.	करंजाकला	112	82	194
2.	बक्शा	233	140	373
	शेष विकास खण्ड	1088	767	1855
	सम्पूर्ण योग	1433	989	2422

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर चिन्हित विकलांग बच्चों की संख्या (0–14 वर्ष)–2001–01

सारणी संख्या-8.8

क्र0सं0	विकास खण्ड	बालक	बालिका	योग
1.	करंजाकला	304	169	473
2.	बक्शा	304	213	517
	शेष विकास खण्ड	2502	1731	4233
	सम्पूर्ण योग	3110	2113	5223

2. बच्चों का नामांकन

1. प्राथमिक रूप से चिन्हांकित विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का समीपस्थ प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन करवाना।

2. वर्ष 2001–02 में कुल 897 विकलांग बच्चों का सामान्य विद्यालयों में नामांकन कराया गया है।

3. मेडिकल एसेसमेन्ट

प्राथमिक रूप से चिन्हांकित बच्चों का मेडिकल एसेसमेन्ट डाक्टरों की टीम द्वारा कराया जा रहा है। इस टीम में ऑख विशेषज्ञ, हड्डी विशेषज्ञ, नाक, कान, गला विशेषज्ञ होंगें। मेडिकल एसेसमेन्ट के द्वारा जानकारी मिल जायेगी कि किस बच्चे में किस प्रकार की कितनी विकलांगता है, तथा बच्चे के लिए किस प्रकार के उपस्कर एवं उपकरण की आवश्यकता होगी।

4. उपस्कर एवं उपकरण

बच्चों को निःशुल्क उपस्कर एवं उपकरण दिलाने हेतु निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जा सकता हैः–

1. राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान 116 राजपुर रोड, देहरादून।

2. अली आवर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान बान्द्रा, मुम्बई।

3. एलिमकों, जी0टी0 रोड कानपुर।

4. अमर ज्योति रिहैविनिटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर ककरडूमा, विकास मार्ग नई दिल्ली।

5. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्थापित कम्पोजित फिटमेन्ट सेन्टर।

6. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मनोविकास नगर सिकन्दराबाद।

7. नेशनल एसोशिएशन फार दि ब्लाइन्ड एजूकेशन डिपार्टमेन्ट, काटेन ग्रीन, एल.पी. वाला कम्पलेक्शन, मुम्बई।

8. मंगलम्, ए.–445 इन्दिरानगर लखनऊ।

9. यू0पी0 विकलांग केन्द्र 13 लूकरगंज, इलाहाबाद।

5. मास्टर ट्रेनर्स की पहचान एवं प्रशिक्षण

विकलांग बच्चों को शिक्षा देने से पहले हमें सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक है। यह प्रशिक्षण पाँच दिन का होगा, तथा इसमें प्रति विकास खण्ड चार मास्टर ट्रेनर्स बनाने होंगे जो बाद में अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण दे सकें। स्वयं सेवी संगठनों से भी मास्टर ट्रेनर्स बनाये जायेंगे।

6. फाउन्डेशन कोर्स

प्रत्येक विकासखण्ड से एक एन.पी.आर.सी./ए.बी.आर.सी. को 45 दिन का प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा वे ट्रेनर शिक्षकों को ट्रेनिंग दे सकें।

मास्टर ट्रेनर और फाउन्डेशन कोर्स का प्रशिक्षण केन्द्र :-

1. अमर ज्योति रिहेबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेन्ट कर्कडुमा विकास मार्ग नई दिल्ली।

2. रूहेल खण्ड विश्वविद्यालय बरेली।

3. यू0पी0 विकलांग केन्द्र 13 लूकरगंज, इलाहाबाद।

4. यू0पी0 इन्स्टीच्यूट फार दि हियरिंग हैण्डीकैप्ट इलाहाबाद।

7. ग्राम शिक्षा समिति, समुदाय एवं अभिभावकों का संवेदीकरण

ग्राम शिक्षा समिति, समुदाय को संवेदीकरण करना होगा तथा समय–समय पर अभिभावकों का मार्ग निदेशन करनां आवश्यक है। यदि परिवार एवं समाज इन बच्चों के शिक्षा के प्रति ध्यान दे तो विकलांग बच्चें भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, यदि इन बच्चों को सही मार्ग दर्शन मिले तो ये कठिन कार्य करने में भी नहीं हिचकिचायेंगें, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने परिवार का दृष्टिकोण बदलना होगा। इन बच्चों को सहानुभति की ही नहीं सहायता की भी आवश्यकता है।

8. साहित्य मुद्रण

सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान साहित्य मुद्रण दिया जायेगा। जैसा–शिक्षक हस्तपुस्तिका और फोल्डर्स जिसमें सभी विकलांगता के बारे में बताया गया है।

9. स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा के लिए तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वयंसेवी संस्थओं की भागीदारी ली जाती है, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रही हो, और निम्न पात्रतायें रखती हो।

क–संस्था/सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम 3 वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो।

ख–संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता।

ग–विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।

घ–संस्था विकलांग जन अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

10. स्वास्थ्य परीक्षण

जनपद में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना है। 2000–01 में कुल 121238 छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसमें सभी छात्रों को स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड मुद्रण कराकर वितरित किया गया । लेकिन अब जो स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा उसमें स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड का मुद्रण नहीं कराया जायेगा, रजिस्टर में स्वास्थ्य कार्ड का कालम बनाकर उसमें प्रविष्टि की जायेगी।

इस अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष दो विकास खण्ड चयनित किये जायेंगें। तथा उसमें समेकित शिक्षा कार्यक्रम चलाया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष दो विकास खण्डों को समेकित शिक्षा के लिए चयनित किया जायेगा, तथा पिछले विकास खण्ड का भी फालोअप चलता रहेगा। इस प्रकार 2010 तक यह कार्यक्रम चलाया जायेगा। जिसमें कुल 21 विकास खण्ड आच्छादित किये जायेंगे।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम

जनपद जौनपुर में 2000–01 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।।। संचालित है। जिसमें समुदाय की सहभागिता प्राथमिक शिक्षा में सुनिश्चित करने के लिए बहुत से कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जो बच्चे (6–14 आयु वर्ग) प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।।। के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, विशेषकर 11–14 आयुवर्ग के, के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लाभन्वित किये जायेंगें। जो बच्चे अभी तक विद्यालय में नहीं रूक पाये हैं, उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा के साथ जोड़ा जाना है। इस गुरूतर दायित्व को पूर्ण करने के लिए सामुदायिक सहभागिता की नितान्त आवश्यकता है। जब तक जन समुदाय विद्यालय को नहीं अपनायेगा इनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्रहण नहीं करेगा तब तक सभी लक्ष्यगत बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा के साथ जोड़ना अत्यन्त दुरूह कार्य होगा।

अतः अभियान को मूर्तरूप देने के लिए सामुदायिक गतिशीता के कार्यक्रमों

को चलाना अत्यन्त आवश्यक और अपरिहार्य है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कम्प्यूटर शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। प्रारम्भिक शिक्षा में कम्प्यूटर के उपयोग किये जाने से सार्थक परिणाम की संभावना है। कम्प्यूटर शिक्षा से जहाँ एक ओर लक्ष्यों को सीखने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को विषय सामग्री को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुतीकरण में सुविधा होगी। शिक्षकों तथा बच्चों दोनों को नवीनतम ज्ञान के अन्वेषण के अवसर मिल सकेंगे। कम्प्यूटर शिक्षा को उपयोगी एवं रोचक बनाने के लिए परियोजना जनपदों में कुछ चयनित स्कूलों में कम्प्यूटर कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रथमतः प्रतिवर्ष दस–दस विद्यालयों कों चयनित किया जायेगा। वह एक जनपद में सम्पूर्ण परियोजना अवधि में कुल 50 उच्च प्रा0 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रावधान हेतु प्रति वर्ष एक मुश्त रू0 60000/– व्यय किये जायेंगे। जैसा कि नीचे सारणी में प्रदर्शित है–

सारणी

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
कम्प्यूटर हेतु उ0प्रा0 विद्यालयों की संख्या	5	5	5	5	5	5

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों से स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा, विशेष रूप से ग्राम शिक्षा

समितियों के प्रशिक्षण ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनायी जायेगी। स्वयंसेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समिति/नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण

सामुदायिक गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि ग्राम शिक्षा समिति और नगर शिक्षा समिति के सदस्य अपने दायित्वों को भली–भाँति समझें और उसका निर्वहन करें। इसके लिए उनको प्रशिक्षित भी किया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण का क्रियान्वयन निम्नलिखित चरणों में प्रस्तावित है:–

1. मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण

यह प्रशिक्षण जनपद में डायट में किया जायेग। प्रशिक्षण में प्रति विकास खण्ड चार संदर्भदाताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा, जिसमें एक बी0 आर0 सी0 समन्वयक और तीन ब्लाक संदर्भ समूह के सदस्य होगें। डायट में यह प्रशिक्षण 42 संदर्भदाताओं प्रति चक्र के हिसाब से दो चक्रों में चलाया जायेगा। नगर क्षेत्र के प्रति वार्ड एक संदर्भदाता के रूप में 136 संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण तीन चक्रों में पूर्ण किया जायेगा। इस डायट पर चलने वाले इस प्रशिक्षण में पाँच चक्र होंगे।

2. संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण

यह प्रशिक्षण विकास खण्ड में बी0आर0सी पर मास्टर ट्रेनर द्वारा ग्राम प्रधानों तथा न्यायपंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों को दिया जायेगा। प्रति ब्लाक 30 प्रतिभागियों के हिसाब से पूरा किया जायेगा।

3. ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण

इनका प्रशिक्षण न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक तथा ग्रामप्रधान द्वारा सम्पादित किया जायेगा तथा ग्राम शिक्षा समिति के

सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त करेगें। प्रत्येक चक्र में 20 से 25 सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगें। जनपद में कुल 1517 ग्राम शिक्षा समितियों की कुल 12136 सदस्य पूरी योजना में तीन बार प्रशिक्षण प्राप्त करेंगें।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का** गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव** परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त** विकास कार्यो एव एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों का** सहयोग लिया जायेगा।

अध्याय-9

गुणवत्ता के लिए नियोजन

शिक्षा का उद्देश्य मानव में सर्वेत्तम का प्रस्फुटन एवं विकास करना है। शिक्षा की चर परणित मानव या शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का चरमोत्कर्ष है। शिक्षा की गुणवत्ता भी उन मूल्यों से जुड़ी हुई है जिसका समाज में पोषण विकास तथा सम्मान किया जाता है।

जनपद जौनपुर में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। अप्रैल 2000 से लागू किया गया है। जो परियोजना के तृतीय चरण से जुड़ा हुआ है। इस परियोजना के माध्य से जनपद के 6–11 वय वर्ग के बच्चों की विद्यालय में पहुँच एवं धारण के साथ ही उनकी गुणवत्ता के संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया गया है। बच्चों की अधिगम सम्बन्धी गुणवत्ता में सुधार हेतु अनेकानेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के उद्देश्य :-

जनपद जौनपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था वर्ष 1995 में डायट स्थापना के तृतीय चरण में स्थापित हुआ है, जिसमें निम्नांकित सात विभाग बनाए गये है–

1. सेवापूर्ति प्रशिक्षण विभाग।
2. सेवारत प्रतिक्षण विभाग।
3. जिला संसाधन इकाई।
4. पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग।
5. कार्यानुभव विभाग।
6. शैक्षिक तकनीकी विभाग।
7. शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन विभाग।

डायट स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता का विकास करना है। उपर्युक्त सातों विभागों के माध्यम डायट जौनपर प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन

के लिए सार्वभौम नामांकन, धारण एवं शिक्षा के गुणवत्ता के क्षेत्र में अपने स्थानापनाकाल से ही सदैव प्रयत्नशील रहा है डायट के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं–

क. शिक्षा से सम्बन्धित व्यावसायिक तथा तकनीकी संसाधनों का विकास करना।

ख. मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का प्रबंधन करना।

ग. प्रबंधन में प्रशिक्षण तथा विद्यालयीय सुविधाओं का रखरखाव।

उपर्युक्त कार्यों के सम्पादन के उद्देश्य से डायट निम्नांकित गतिविधियों का आयोजन तथा पर्यवेक्षण करेगा–

1. संदर्भ व्यक्तियों की पहचान करना।
2. शिक्षा के वैकल्पिक अनुदेशकों, अंशकालिक अध्यापकों तथा आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के बोधात्मक प्रशिक्षण कराना।
3. बहुकक्षा शिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार करना।
4. प्राथमिक शिक्षकों तथा आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं शैक्षिक क्रियाकलापों का मूल्यांकन करना।
5. बी.आर.सी. की मासिक बैठक तथा प्राथमिक शिखा से सम्बन्धित क्रियात्मक शोध कराना।
6. न्यूनतम अधिगम स्तर का मूल्यांकन।
7. पत्रिका तथा समाचार पत्रों का सम्पादन।
8. निदेशालय सामग्री का विकास करना।
9. प्रशिक्षण माड्यूल विकसित करने हेतु कार्यशाला का आयोजन।
10. अनुपूरक सामग्री के लिए कार्यशाला का आयोजन ।
11. शिक्षक हस्तपुस्तिका के लिए कार्यशाला।
12. महिला संवेदीकरण के लिए कार्यशाला।

13. न्यूनतम अधिगम में सुधार के लिए आधारभूत मूल्यांकन अध्ययन करना।

14. एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का अनुश्रवण करना।

उपर्युक्त कार्यों/उद्देश्यों को दृष्टिगत करते हुए प्राथमिक शिक्षा में उन्नयन के लिए डायट जौनपुर सदैव प्रयत्नशील है 1 प्राथमिक विद्यालयों की शैक्षिक स्थिति, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों तथा बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव डालने वाले चरों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1999 में डायट के माध्यम से आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें जनपद के चयनित 50 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय (40 ग्रामीण तथा 10 शहरी) सम्मिलित किए गए थे।

वर्ष 2000-01 में सम्पादित गुणवत्ता सम्बन्धी प्रशिक्षण :-

1. स्कूल विजनिंग कार्यशाला :-

आदर्श विद्यालय के परिदृश्य की सम्यक् देने, तथा इसके साथ ही गुणवत्ता सम्वर्धन हेतु गतिविधि अग्धारित शिखण एवं क्रिया आधारित, शिक्षण का महत्व प्रतिपादित करने के उद्देश्य डायट में स्कूल विजनिंग कार्यशाला का आयोजन करके डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता, उपबेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उपविद्यालय निरीक्षक, बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. समन्वयक तथा क्रियाशील शिक्षक लाभान्वित हुए । इसका विवरण इस प्रकार है।

प्रशिक्षण क नाम	अवधि	फेरा संख्या	लाभार्थी
स्कूल विजनिंग कार्यशाला	4 दिवसीय	5	252

2.टी.ओ.टी. प्रशिक्षण :-

डी.पी.ई.पी. के कार्यक्रमानुसार लिखित परीक्षा के उपरान्त चयनित प्रतिभागियों को 8 दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त उनमें से मास्टर ट्रेनर्स के रूप में अध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण देने के लिए चयनित किया गया । इस प्रशिक्षण का विवरण इस प्रकार है –

प्रशिक्षण का नाम	अवधि	लाभार्थी
टी.ओ.टी.प्रशिक्षण	8 दिवसीय	जनपद जौनपुर 75 जनपद मिर्जापुर 51 योग 126

3. आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण :-

खेल एवं क्रिया प्रधान रोचक शिक्षण विधियों के माध्यम से 3 से 5 वय वर्ग के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए डायट में इस प्रशिक्षण को सम्पादित कर सम्बन्धित न्यायपंचायत समन्वयकों तथा आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रशिक्षित किया । विवरण इस प्रकार है।

प्रशिक्षण का नाम	अवधि	लाभार्थी
आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ती प्रशिक्षण	7 दिवसीय	71

वर्ष 2001-02 में गुणवत्ता नियोजन हेतु डायट स्तर पर सम्पादित प्रशिक्षण:-

1. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण/ अनुश्रवण करने में सक्षम बनाने तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से डायट स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन करके पर्यवेक्षक की भूमिका निभाने वाले जनपद के एन.पी.आर. सी. समन्वयकों को प्रशिक्षित किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है–

प्रशिक्षण का नाम	अवधि	फेरासंख्या	लाभार्थी
वैकल्पिक शिक्षा प्रशिक्षण	02 दिन	06	218 (जनपद के 21 विकास खण्डों के एन.पी.आर.सी0 समन्वयक)

2. महिला संवेदीकरण प्रशिक्षण :-

बालिका शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से डायट स्तर पर महिला संवेदीकरण का प्रशिक्षण सम्पादित कराया गया। विवरण इस प्रकार है–

प्रशिक्षण का नाम	अवधि	फेरासंख्या	लाभार्थी
महिला संवेदीकरण प्रशिक्षण	04 दिवसीय	01	59 (संदर्भदाता)
महिला संवेदीकरण सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	03 दिवसीय	03	124 नगर क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षक

3. शिक्षामित्र का बोधात्मक प्रशिक्षण :-

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत विद्यालयों के शिक्षकों की कमी दूर करने के उद्देश्य डायट स्तर शिक्षा मित्रों का 30 दिवसीय सघन प्रशिक्षण का आयोजन कर उन्हें कुशलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया। विवरण इस प्रकार है–

प्रशिक्षण का नाम	अवधि	फेरासंख्या	लाभार्थी
प्रशिक्षण का नाम	30 दिवसीय	04	77

4. आचार्य जी का प्रशिक्षण :-

एजूकेशन गारण्टी स्कीम के अंतर्गत आचार्य जी का 30 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में सफलतापूर्व सम्पादितकर कुल 35 आचार्य जी डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत तीन फेरों में प्रशिक्षित किए गए।

5. कर्त्तव्य एवं आधारभूत प्रशिक्षण :-

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत जनपद के बी.आर.सी. / ए.बी.आर.सी. / एन.पी. आर.सी. समन्वयकों को उनमें कर्त्तव्य का बोध कराने के उद्देश्य से डायट स्तर पर प्रशिक्षित कर उन्हें समन्वयक के रूप में कर्त्तव्य का निर्वहन करने को सक्षम बनाने का

प्रयास किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है–

प्रशिक्षण का नाम	अवधि	फेरासंख्या	लाभार्थी
कर्त्तव्य एवं आधारभूत प्रशिक्षण	7 दिवसीय	07	233

6. शैक्षिक अनुसमर्थन एवं अनुश्रवण कार्यशाला :-

विद्यालयों के शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण में कुशल बनाने के उद्देश्य से जनपद के ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई., बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक तथा डायट मेण्टर की आठ चक्रों में तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर उनकों उक्त क्षेत्र में दक्ष बनाने का प्रयास किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है–

कार्यक्रम का नाम	अवधि	फेरासंख्या	लाभार्थी
शैक्षिक अनुसमर्थन एवं अनुश्रवण कार्यशाला	03 दिवसीय	08	263

7. अन्य कार्यशालाएँ :-

उक्त के अतिरिक्त गुणवत्ता नियोजन हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार भी कार्यशालाएँ आयोजित की गयी हैं–

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	फेरा संख्या	लाभार्थी संख्या
1.	सतत व्यापक शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन कार्यशाला	01 दिवसीय	04	213
2.	टी.एल.एम. निर्माण एवं प्रयोग कार्यशाला	01 दिवयीय	01	036

8. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण :-

डायट स्तर डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत नगर क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक

शिक्षकों के कौशल में वृद्धि करने के उद्देश्य सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन निम्नांकित विवरण के अनुसार किया गया–

कार्यक्रम का नाम	अवधि	फेरासंख्या	लाभार्थी
सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	08 दिवसीय	04	126

9. क्रियात्मक शोध :-

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की शैक्षिक समस्याओं की जानकारी होने पर उसके निदान के लिए क्रियात्मक शोध भी किया जाता है। डायट के प्रवक्ताओं द्वारा निम्नांकित क्रियात्मक शोध किए गए है–

क. प्राथमिक विद्यालयों में भाषा में वाचन की समसया का निदान।

ख. कक्षा–4 में टी.एल.एम. के प्रयोग को बढ़ावा।

वर्ष 2002-03 में गुणवत्ता सम्वर्धन सम्बन्धी सम्पादित गतिविधियाँ:-

1. बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. संदर्शिका प्रशिक्षण :-

जनपद के बी.आर.सी., ए.बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. समन्वयकों वित्त एवं सूचना प्रबंधन में दक्ष बनाने के उद्देश्य से बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. संदर्शिका प्रशिक्षण डायट स्तर पर संचालित किया जिसका विवरण निम्नांकित है–

कार्यक्रम का नाम	अवधि	फेरासंख्या	लाभार्थी
बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर. सी. संदर्शिका प्रशिक्षण	02 दिवसीय	08	268

2. बी.आर.सी स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण :-

डायट स्तर बी.आर.सी. स्तरीय सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा नगर क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का सेवारत

शिक्षक प्रशिक्षण सम्पादित कराया गया जिसका विवरण इस प्रकार है–

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	फेरा संख्या	लाभार्थी संख्या
1.	बी.आर.सी.- स्तरीय सेवारत प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	06 दिवसीय	02	85
2.	बी.आर.सी. स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण (नगर क्षेत्र)	05 दिवयीय	04	123

3. आचार्यजी/ अनुदेशक प्रशिक्षण :-

विद्याकेन्द्रों में आचार्यजी तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों का 30 दिवसीय सघन प्रशिक्षण डायट में सफलतापूर्व आयोजित किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है–

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	फेरा संख्या	लाभार्थी संख्या
1.	आचार्य जी का प्रशिक्षण	30 दिवसीय	02	33
2.	अनुदेशक प्रशिक्षण	30 दिवसीय	02	60

4. शिक्षामित्र प्रशिक्षण :-

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से डायट स्तर पर शिक्षा मित्रों का 30 दिवसीय बोधात्मक तथा 15 दिवसीय पुनर्बोधात्म सघन प्रशिक्षणों का आयोजन निम्नांकित विवरण के अनुसार सम्पादित किया गया–

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	फेरा संख्या	लाभार्थी संख्या
1.	शिक्षामित्र बोधात्मक प्र0	30 दिवयीय	05	313 डी.पी.ई.पी.
2.	शिक्षामित्र पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	15 दिवसीय	01	054 डी.पी.ई.पी.
3.	शिक्षामित्र बोधात्मक प्र0 (बे0शि0प0)	30 दिवसीय	01	045 (बेसिक)

5. डी.पी.ई.पी. ।।। मध्यावधि मूल्यांकन :-

डी.पी.ई.पी. के मध्यचरण पूर्वपरिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को अनेक शैक्षिक सन्निवेश दिए जाने के उपरान्त 50 चयनित (40 ग्रामीण तथा 10 शहरी) परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण डायट की देखरेख में 30 प्रशिक्षित क्षेत्र अन्वेषकों के माध्यम से दिनांक 2.12.2002 से 12.12.02 तक सम्पादित कराया गया। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य कक्षा–02 एवं 5 के क्षात्रों की भाषा तथा गणित में शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर जानना था। साथ ही विद्यार्थी पार्श्वचित्र, अध्यापक पार्श्वाचित्र एवं विद्यालयीय पार्श्वचित्र के भी विषय जानकारी करना था।

6. दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम :–

शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से डायट में निम्नांकित विवरण के अनुसार टेलीकान्फ्रेसिंग कार्यशाला आयोजित की गयी–

क्र.स.	तिथि	विषय
1.	22.07.02	स्कूल चलो अभियान सम्बन्धी
2.	7.09.02	अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सम्बन्धी
3.	1.11.2002	समुदाय एवं शिक्षा सम्बन्धी

वर्ष 2003-04 में गुणवत्ता नियोजन के लिए सम्पादित तथा प्रस्तावित गतिविधियाँ :-

1. शिक्षामित्र प्रशिक्षण :-

विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से शासन की मनसा के अनुरूप शिक्षा मित्रों का 30 दिवसीय बोधात्म तथा 15 दिवयी पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन डायट स्तर पर किया गया, जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है–

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	कुल फेरों की संख्या	प्रतिभागी संख्या
1.	शिक्षामित्र बोधात्मक प्र0	30 दि0	01	44 (डी.पी.ई.पी.)
2.	शिक्षामित्र बोधात्मक प्र0	30 दि0	01	28 (बे0शि0प0)
3.	शिक्षामित्र पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	15 दि0	02	192 (डी.पी.ई.पी.)

2. आचार्यजी/अनुदेशक प्रशिक्षण :-

एजूकेशन गारन्टी स्कीम के अंतर्गत डी.पी.ई.पी. के विद्याकेन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के कुशलता पूर्वक संचालित करने के लिए आचार्य जी तथा अनुदेशक के 30 दिवसीय सघन प्रशिक्षण का आयोजन डायट स्तर पर किया गया, जे इस प्रकार है।–

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	कुल फेरों की संख्या	प्रतिभागी संख्या
1.	आचार्य जी का बोधात्म प्रशिक्षण	30 दि0	01	05
2.	अनुदेशक प्रशिक्षण	30 दि0	01	04

3. समेकित शिक्षा प्रशिक्षण :-

जनपद के चार विकास खण्डों में डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत शिक्षकों का सेवा शिक्षक प्रशिक्षण (समेकित शिक्षा) सम्पन्न कराया जा चुका है। जनपद के अवशेष

विकास खण्डों में उक्त प्रशिक्षण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कराया जायेगा। इस प्रशिक्षण को बी.आर.सी. स्तर पर सम्पादित कराए जाने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड से दो–दो (ए.बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. समन्वयक) मास्टर ट्रेनर डायट स्तर पर प्रशिक्षित किए गए। जनपद मऊ के भी प्रतिभागियों का प्रशिक्षण कराया गया। विवरण इस प्रकार है–

क्र.सं.	जनपद का नाम	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	फेरा सं0	प्रतिभागी सं0
1.	जौनपुर	समेकित शिक्षा के मास्टर ट्रेनर का प्र0	10 दि0	01	32
2.	मऊ	समेकित शिक्षा के मास्टर ट्रेनर का प्र0	10 दि0	01	07

4. परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के मुख्य अध्यापकों के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण :–

डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के मुख्य अध्यापकों में नेतृत्व क्षमता सम्वर्धन के उद्देश्य से बी.आर.सी. स्तर पर उक्त प्रशिक्षण कराया जायेगा। डायट स्तर पर उक्त प्रशिक्षण में प्रशिक्षण के रूप में कार्य करने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड से तीन–तीन कुशल शिक्षकों को डायट में निम्नांकित विवरण के अनुसार प्रशिक्षित किया गया है–

प्रशिक्षण का नाम	अवधि	फेरा सं0	प्रतिभागी सं0
मुख्य अध्यापक (नेतृत्व क्षमता सम्वर्द्धन) प्रशिखण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	06 दिवसीय	02	60

5. क्रियात्मक शोध :–

डायट स्तर पर निम्नांकित शैक्षिक समस्याओं पर क्रियात्मक शोध किया जाना प्रस्तावित है–

1. मध्यावकाश के बाद कक्षाओं में छात्रों की कमी।

2. भाषा में अशुद्ध वचन का सुधार ।

3. क्षात्रों की वर्तनी सम्बन्धी त्रुटियों में सुधार।

4. छात्रों की वर्तनी सम्बन्धी दोषों में सुधार।

5. प्रा0विद्यालयों में सुलेख का सुधार।

6. स्थानीयमान का ज्ञान।

7. प्रा0विद्यालयों में गृहकार्य के माध्यम से गुणवत्ता में विकास।

6. अन्य गतिविधि :-

पल्स पोलियों अभियान को सफल बनाने तथा इसके उचित प्रचार–प्रसार के लिए जनपद बी.आर.सी. / ए.बी.आर.सी. / एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन फेरेवार किया जा रहा है।

7. अन्य प्रस्तावित प्रशिक्षण :-

वर्ष 2003–04 में अवशेष शिक्षा मित्रों / आचार्यजी / अनुदेशकों का प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है किन्तु इस प्रशिक्षण को विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी से चयनित्र / अनुमोदित सूची प्राप्त होने पर ही कराया जाना सम्भव होगा।

8. रोस्टर प्रशिक्षण :-

जनपद के सभी 21 विकास खण्डों के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है।

9. समेकित शिक्षा प्रशिक्षण :-

जनपद के चार विकास खण्डों को छोड़कर शेष 17 विकास खण्डों को शिक्षकों को 05 दिवसीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित हैं।

10. सतत व्यापक शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन सम्बन्धी एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें 21 बी.आर.सी. समन्वयक तथा डायट मेण्टर प्रतिभाग करेंगे।

एस0एस0ए0 के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण :-

प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमीकरण हेतु सर्वशिक्षा अभियान एक गुणवत्ता परक एवं अत्यन्त उपयोगी कार्यक्रम है। यह 6–14 वय वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष रूप से जनपद में चलाये जाने हेतु प्रस्तावित है। इसका मूल लक्ष्य इस प्रकार है:–

स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की साझीदारी सुनिश्चित करके प्राथमिक स्तर के बच्चों में गुणात्मक सुधार लाना है।

वर्ष 2003 तक प्राथमिक स्तर के 6–11 वय वर्ग के बच्चों को कही न कहीं शत–प्रतिशत रूप से नामांकित कर लिया जायेगा। सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करें यह लक्ष्य 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।

सभी बच्चे उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करें यह लक्ष्य बच्चे 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा। इस प्रकार 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को 2007 तक विद्यालय में धारण कर पाने के व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देने वाली गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जायेगी।

उपर्युक्त लक्ष्यों को उक्त शिक्षा प्रणाली एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जनपद का एक विजन सुनिश्चित करके विकास खण्ड स्तर पर बी.आर.सी. तथा न्याय पंचायत स्तर पर एन.पी.आर.सी. की भागीदारी सुनिश्चित होगी, इसके लिए सर्व प्रथम एक विजनिंग कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी, जिसमें वच्चों की वर्तमान स्थिति तथा बदलाव का लक्ष्य रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष तथा सहमतियॉ निश्चित की जायेंगी। आदर्श विद्यालय के परिदृश्य की सम्यक जानकारी हेतु तथा प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन हेतु विचारधारा एवं कार्यक्रम नियोजित किया जायेगा। सेवारत शिखकों की दक्षता तथा उनकी क्षमता में वृद्धि हेतु उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की एक शतत प्रक्रिया है विकसित की जायेगी। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षणों की एक श्रृंखला विकसित की जायेगी, जो निरन्तर चलता रहेगा। इसी अनुक्रम में लघु स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित होंगी। विषय विशेष द्वारा अध्यापकों का चयन करने के साथ ही उनमें विशेषरूप से दक्ष अध्यापकों का भी चयन किया जायेगा। इसके साथ ही बच्चों के संज्ञानात्मक एवं असंज्ञानात्मक परिक्षेत्र से सम्बन्धित अभिवृत्तियों एवं कौशलों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए प्रपत्र विकसित करते हुए अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी क्षमता में वृद्ध की जायेगी। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर आधुनिकीकरण में सहायक सिद्ध होगी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण अनुभवों तथा अनुभूत आवश्यकताओं का उपयोग इन सेवारत प्रशिक्षणों में किया जायेगा, साथ ही प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रमों और पाठ्यवस्तुओं के अच्छे एवं प्रमाणपूर्ण उपयोग हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा।

एस.एस. ए. के अंतर्गत 2004-05 हेतु प्रस्तावित गतिविधियाँ

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागी	अवधि	प्रतिभागी संख्या
1.	स्कूल विजनिंग कार्यशाला	डायट संकाय, डी.पी.ओ. स्टाफ, डी.आई., ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक, एन.पी.आर. सी. समन्वयक, ए.बी.आर.सी. तथा प्रत्येक ब्लाक से एक कुशल शिक्षक	04 दिन	364
2.	शिक्षामित्र प्रशिक्षण			
	अ. आधारभूत	शिक्षामित्र	30 दिन	1023 (प्राइमरी)
	ब. पुनबोधात्मक	शिक्षामित्र	3 दिन	1151
3.	प्राथमिक के नए अध्यापकों का प्रशिक्षण	नए अध्यापक	30 दिन	1023
	सेवारत प्र0 प्राइमरी	प्राथमिक शिक्षक	30 दिन	7776
	सेवारत प्रशि0 उ0प्रा0	उ0प्रा0शिक्षण	20 दिन	1714
	बोधात्मक प्रशि0शिक्षामित्र	चुने हुए	15 दिन	217
	ई.जी.एस. आचार्यजी प्रशि0		30 दिन	217
	अनुदेशक प्राइमरी		30 दिन	42
	अनुदेशक उ0प्रा0		30 दिन	42
	बी.आर.सी.का प्रशि0		10दिन	63
	एन.पी.आर.सी. प्रशि0		10 दिन	218
	रिसोर्स परसन प्रशि0	प्रत्येक ब्लाक से चार	–	84
	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.			31
	टी.ओ.टी. का प्रशि0	प्रत्येक ब्लाक से चार	07 दिन	84
	ई.एम.आई. सेल का प्रशि0	कम्प्यूटर आपरेटर	04 दिन	01

एस.एस. ए. के अंतर्गत 2005-06 हेतु प्रस्तावित गतिविधियाँ

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागी	अवधि	प्रतिभागी संख्या
1.	शिक्षामित्र प्रशि0			
	अ. बोधात्मक	चुने हुए शिक्षामित्र	30 दिन	107
	ब. पुनर्बोधात्मक			
2.	प्रा0 के नए अध्यापकों का	नए अध्यापक	30 दिन	106
	बोधात्मक प्रशि0			
	सेवारत प्रशि0 प्राइमरी	प्राथमिक शिखक	30 दिन	7882
	सेवारत प्रशि0 उ0प्रा0	उ0प्रा0शि0	20 दिन	1714
	बोधात्मक प्रशि0 शिक्षामित्र	चुने हुए शिक्षामित्र	15 दिन	1713
	ई.जी.एस. आचार्य प्रशि0	–	15 दिन	292
	अनुदेशक प्राइमरी	–	15 दिन	42
	अनुदेशक उ0प्रा0	–	15 दिन	42
	रिसोर्स पर स0प्रशि0	प्रत्येक ब्लाक से चार	–	84
	ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई.			31
	समेकित शिक्षा प्रशि0	बच्चों के आधार पर		3775 बच्चे . .

एस.एस. ए. के अंतर्गत 2006-07 हेतु प्रस्तावित गतिविधियाँ

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागी	अवधि	प्रतिभागी संख्या
1.	शिक्षामित्र प्रशि0			
	अ. बोधात्मक	चुने हुए शिक्षामित्र	30 दिन	109
	ब. पुनर्बोधात्मक			
2.	प्रा0 के नए अध्यापकों का	नए अध्यापक	30 दिन	108
	बोधात्मक प्रशि0			
3.	सेवारत प्रशि0 प्राइमरी	प्राथमिक शिखक	30 दिन	7990
	सेवारत प्रशि0 उ0प्रा0	उ0प्रा0शि0	20 दिन	1714
	बोधात्मक प्रशि0 शिक्षामित्र	चुने हुए शिक्षामित्र	15 दिन	2820
	ई.जी.एस. आचार्य प्रशि0	–	–	–
	रिर्सोस पररान प्रशि0	प्रत्येक ब्लाक से चार		84
	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.			31

समय प्रबन्धन

किसी भी कार्य को आसानी के साथ समय से सम्पन्न करने के लिए समय प्रबन्धन का बड़ा महत्व है। यदि विद्यालय का समय प्रवन्धन व्यवस्थित रूप से क्रियाशील है तो आवश्यक सूचनाओं का एकत्रीकरण, शिक्षण कार्य एवं विभागेत्तर अतिरिक्त कार्य तीनों ही आसानी से सम्पन्न किये जा सकते हैं। डायट स्तर पर चलने वाले प्रशिक्षणों एवं बी0आर0सी0 स्तर पर चलने वाले प्रशिक्षणों में समय प्रवन्धन को प्रशिक्षण का अंग वनाया जायेगा। और प्रशिक्षण में एक सत्र, समय प्रबन्धन कैसे किया जाय, वर्ष के 220 कार्यदिवसों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाय कि उपर्युक्त तीनों कार्य यथासमय व्यवस्थित रूप से और आसानी से सम्पन्न किये जा सकें। इस समय में अध्यापकों को प्रशिक्षण देकर उनके फालोअप की जॉच की जायेगी।

उपरोक्त कार्य को व्यवस्थित रूप प्रदान करने हेतु डायट प्रवक्ताओं द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की समय सारणी का अध्ययन किया गया। 220 कार्यदिवसों के लिए खुलने वाले विद्यालयों में 165 दिवस शिक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध हुए।

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण दिवस	165	165
परीक्षा	10	10
अन्य कार्य	25	25
नष्ट हो जाने वाले दिन	8	8
समुदाय से सम्पर्क	12	12
स्रोत : डायट जौनपुर		

सारणी

स्कूल समय सारणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार

विषय	प्राथमिक स्तर वादन / समय	उच्च प्राथमिक स्तर वादन / समय
विज्ञान	प्रति घंटा 40 मिनट X 4	40 मिनट X 6
भाषा–1 हिन्दी	प्रति घंटा 40 मिनट X 9	40 मिनट X 9
भाषा–2 अंग्रेजी	प्रति घंटा 40 मिनट X 3	40 मिनट X 3
भाषा–3 संस्कृत	प्रति घंटा 40 मिनट X 5	40 मिनट X 5
गणित	प्रति घंटा 40 मिनट X 8	40 मिनट X 10
सामाजिक विषय	प्रति घंटा 40 मिनट X 4	40 मिनट X 6
सामायोपयोगी कार्य	प्रति घंटा 40 मिनट X 5	40 मिनट X 3
कला शिक्षण	प्रति घंटा 40 मिनट X 4	40 मिनट X 3
अन्य शिक्षा शारीरिक शिक्षा	प्रति घंटा 40 मिनट X 8	40 मिनट X 3

स्रोत : डायट जौनपुर

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट हो रहा है कि कार्य दिवसों की संख्या 165 दिन ही प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध हो पाते हैं। सर्वशिक्षा अभियान में कुल कार्य दिवसों की संख्या 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी इसके अतिरिक्त समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, क्रिया आधारित शिक्षा, शिक्षण का बढ़ावा देने, इस कार्य में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने, समुदाय की भागीदारी बढ़ाने को भी महत्व प्रदान किया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण

भवन	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)
1. संस्थान के लिए भवन प्रशिक्षण कक्ष, सभागार, प्रशासनिक कक्ष, पुस्तकालय, विज्ञान कक्ष, प्रशासनिक भवन	95.00
2. एक अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष	02.00
योग	97.00
उपकरण / साजसज्जा	
1. फोटो कापियर / प्रोजेक्टर	02.00
2. पुस्तकालय हेतु पुस्तक रैक, कुर्सी, मेज	01.00
3. संस्थान हेतु फर्नीचर	02.00
4. जनरेटर, वाटरकूलर, डुप्लीकेटिंग मशीन, फैक्स मशीन	02.00
5. उपकरणों के रख–रखाव हेतु वातानुकूलित कक्ष	3.50
योग	10.50
आवतर्क (प्रतिवर्ष)	
1. क्रियात्मक शोध / अध्ययन	02.00
2. कार्यशालायें / सेमिनार	02.00

3. प्रकाशन एवं मुद्रण	04.00
4. कन्टीजेन्सी	01.00
5. वाहन रख–रखाव हेतु कक्ष (गैरेज) एवं रख–रखाव	01.50
योग	10.50

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर का सुदृढ़ीकरण

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत डायट की क्षमता के संवर्द्धन हेतु निम्नानुसार प्रावधान प्रस्तावित है:–

मद	यूनिट लागत (हजार में)	वर्ष 2003–04 (यूनिट)
फर्नीचर	50	—
उपस्कर	200	—
कम्प्यूटर	600	1
वाहन	350	—
हायरिंग	10	1
ईधन	50	1
सेमिनार	200	1
क्रियात्मक शोध	200	1
संस्थागत विकास	50	—
एक्सपोजर विजिट	50	1
पुस्तकालय	30	1
कम्प्यूटर आपरेटर वेतन	7	1
ड्राइवर वेतन	4	—
उपभोग कम्प्यूटर/स्टेशनरी	20	1
कंटीनजेंसी	100	1

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001–2010 तक की होगी। इस अवधि में 6–14 आयु वर्ग के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबंधन उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जानेका लक्ष्य है। वर्ष 2002–2003 में भी निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जायेगे।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे।

प्रबन्धन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चत कर सके । समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिए इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही, दिन–प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्रापत करते हुए विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिए प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने के साथ उ0प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंधतन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत्

दर्शाया जा रहा है:

निर्णयकर्ता समिति	सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति यू.पी.ई.एफ., ए.पी.बी.	राज्य परियोजना कार्यालय	एस.सी.ई.आर.टी., एस.आई.ई., साइमेट एस.आई.ई.टी., एन.जी.ओ. आदि
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट, एन.जी.ओ. आदि
क्षेत्र विकास समिति	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक/अध्यापक	संकुल संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा-नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:–

समिति का स्वरूप निम्नवत है :–

1. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वहाँ एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधानाध्यापकों में से ज्येष्ठतम : सदस्य सचिव
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला सदस्य होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगें।

अधिकार एवं दायित्व

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी –

क– पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

ख– ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसाद और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना।

ग– पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

घ– बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना।

ङ– ऐसे समस्त आवश्यकत कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकत समझे जाय।

च– पंचायत क्षेत्र की सभाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से निहित की जाय जैसे लघु दण्ड देने की सिफारिस करना।

छ– बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाय। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय

सामुदायिक भागीदारी के साथ–साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा। ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधनों केन्द्रों का निर्माण उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ–साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना, उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार विमर्श एवं उनका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार, परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति

जिले की भांति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायी होगी। क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है:--

1. ब्लाक पमुख	अध्यक्ष
2. स0 बेसिक शि0अधि0 / प्र0उ0वि0नि0	सदस्य--सचिव
3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	सदस्य
4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वयक स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अर्न्तत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी। तथा सुनिश्चित रोजगार योजन / जे.जी.एस.वाई. के लिए आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन-ब्लाक स्तर

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत है। जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में परियोजना के कार्यो को क्रियान्वित करायेंगे। तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्र0उ0वि0नि0 परियोजना क्रियान्वयन

एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र के मध्य समन्वयक स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिए उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। स0बे0शि0अधि0 पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। सार रूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होगें।

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना तथा उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित कर संकलित करना।
6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित करना तथा सूचना एकत्र करना।
7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित करना।
8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुसतकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।
9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।
10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियाँ सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वयक स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्र0उ0नि0 करेंगे, तथा ई.जी.एस. एवं ए.आई.ई. केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यालय अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

स0बे0शि0अधि0 के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वह सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटरसाइकिल के साथ यात्रा–भत्ता तथा रख–रखाव हेतु नियत धनराशि 18000/– प्रतिवर्ष प्रति विकासखण्ड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हें ई.जी.एस./ए. आई.ई. योजना के कार्य संपादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी.आर.सी. समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों, ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। जहाँ समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके हैं और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथाउच्च प्राथमिक स्तर पर

विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सहसमन्यक पर पर सृजित किया जायेगा जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेंगे। शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन एवं समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिए प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना। शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों तथा अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के सम्बन्ध में बस्तीवार

तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूटराइज विवरण तैयार करना।

8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एकत्रीकरण व सैम्पल चेकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीति के निर्धारण के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तग्रत पूर्व से ही गठित है। जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है। समिति का गठन निम्नवत है:–

जिलाधिकारी	:	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	:	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	:	सदस्य–सचिव
प्रचार्य डायट	:	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी	:	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	:	सदस्य
वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा	:	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता–आर.ई.एस.	:	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता–पी.डब्ल्यू. डी.	:	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	:	सदस्य
दो शिक्षाविद् (विश्ववि0 एवं महावि0 से0)	:	सदस्य
(जिलाधिकारी द्वारा नामित)		
दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्ण माला क्रम (एक वर्ष के लिए)	:	सदस्य
दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)	:	सदस्य

स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि	:	सदस्य
(जिलाधिकारी द्वारा नामित)	:	सदस्य

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व

यह समिति एवं शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए इसके जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके निर्णय प्रभावी होंगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संवर्धन, निर्माण के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार–प्रसार के लिए सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। यह समिति जिले के अन्तग्रत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना एवं निर्देश के लिए जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तगर्कत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है, जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:–

1. जिला पंचायत अध्यक्ष	:	अध्यक्ष
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	:	सदस्य–सचिव
3. अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	:	पदेन सदस्य
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी	:	पदेन सदस्य
5. जिला विद्यालय निरीक्षक	:	पदेन सदस्य
6. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई और	:	पदेन सदस्य

उनकी अनुपस्थिति में निरक्षण

7. तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य द्वारानाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। : सदस्य

8. विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कृत्यों का संपादन करेगी।

क. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

ख. नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

ग. ऐसे बेसिक स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु के लिए स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी।

प्रशासनिक तंत्र-जिला परियोजना कार्यालय

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन उनका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्गदर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। इस कार्य में उनकी सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी, जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी। जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे।

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	1 प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्यक	4 प्रतिनियुक्ति / नियत वेतन पर

4.	सलाहकार	2 रू0 10,000/– नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस. अधिकारी	1 रू0 10,000/– नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यिकी सहायक	3 रू0 7000/– नियत वेतन प्रति पद.
7.	सहायक लेखाधिकारी	1 नियुक्ति पर
8.	लिपिक	1 नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1 नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नहीं है। उपयुक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे, तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उनके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद में कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी / स0बे0शि0अधि0 तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का दायित्व होगा कि वे सर्वशिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेंगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। जिसके

लिए उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित है, प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भव हेतु रू0 1000/–प्रति अतिरिक्त कक्षा–कक्ष/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500/–तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200/– की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय क भवन के साथ के साथ शौचालय के निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्राविधान रखा जायेगा। अभियंताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम (ई0एम0आई0एस0)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एवं क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफ्टवेयर स्थापित है। तथा कम्प्यूटर हार्ड वेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 2001 से 2002–2003 तक के शैक्षिक आंकडे उपलब्ध है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए साफटवेयर डाटा वेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम का संकलित कर एक अत्यधुनिक एवं उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट उपलब्ध हो

सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को सम्पादित करने के लिए स्थापित कम्प्यूटराइज ई.एम.आई.एस. के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एवं तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/सांख्यिकी सहायक रखे जायेंगे, जिससे इन प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपोर्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके। और जिला परियोजना कार्यालय अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूण्र इन्डीकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकड़ों के एक संसाधन के रूप विकसित हो सकेगा। जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबंध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे–

1. विद्यालय हेतु सांख्यिकी प्रपत्र का मुद्रण एवं वितरण कराना।
2. समय से फिल्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वय, एन.पी.आर.सी. समन्वय, प्रधानाध्यापक) का प्रशिक्षण आयोजित करना।
3. माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हेतु प्रपत्रों का एकत्रीकरण करना।
4. भरे हुए प्रपत्रों की सेम्पल चेकिंग सम्पादित करना, तथा परिवर्तन यदि कोई हो अभिलिखित करना।
5. समयवद्ध रूप में दिसम्बर 2001 के अन्त तक डाटा इन्ट्री पूर्ण करना तथा रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।

6. संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार करना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रचार्य, जिला शिक्षा एवं प्राशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का उपलब्ध करना।
7. सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/कार्य शालाओं में प्रतिभाग करना।
8. माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी सम्बन्धित को प्रस्तुत करना।

ई0एम0आई0एम0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभिष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्राधानाध्यापक, संकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, स0बे0शि0 अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और ई0एम0आई0एस0 सम्वंधी प्रपत्र तथा उन्हें भारने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों के दो प्रतिशत चेकिंग के लिए भी फिल्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे आंकड़ो की शुद्धता की जांच हो सके।

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर लेखास्टाफ प्रशिक्षण करेंगें।

2. ई0एम0आई0एस का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इनमें सहायक बेसिक शिक्षा

अधिकारी / प्र0उ0वि0नि0 एवं बी0आर0सी0समन्वयक / सहसमन्वयक आदि प्रतिभाग करेंगें।

3. ई0एम0आई0एस का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इनमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक / सहसमन्वय तथा राजकीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगें।

4. ई0एम0आई0एस का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0 / सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा। जिसमें डी0पी0ओं0 एवं बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन इ0एम0आई0एस0 प्रबन्धन एवं दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट इन्फार्मेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकड़ें का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांच

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिए नीपा नईदिल्ली द्वारा तैयार किया गया। विद्यालय सांख्यिकी प्राप्त उपलब्ध हो गया है। जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा इन्ट्री के पश्चात् ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुए प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिंट आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधनाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि है तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकड़ों का उपयोग

ई.एम.आई.एस. आंकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे–जी0ई0आर0, एन0ई0, आर0, आर, ड्राप–आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र–अध्यापक अनुपात, कक्षा–कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। इन

इन्डीकेटर्स का उपयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार–बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तद्नुसार कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तर्गत ई0एम0आई0. एस0 से प्राप्त आंकड़ों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है, और स्कूलों में अध्ययनरत तत्था स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत से प्रापत आकंड़ों के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त गकाम स्तरीय आंकड़ों तथा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तद्नुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन अभीष्ठ होगा। ई0एम0आई0एस0 एवं माइक्रोप्लानिंग के आंकड़ों का उपयोग निम्न कार्यों हेतु भी किया जायेगा :–

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों की चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठ्यपुस्त कें के विवरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी भाग का आंकलन व निर्धारण।

9. शिक्षकों का विवरण।

10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।

11. विकलांगतावार आंकड़ों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई.एम.आई.एस. से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडी

छात्र–छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप–आउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा करायी जायेगी। जिसका अनुश्रवण सीमेन्ट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पृथक–पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रू0 2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम

एम. आई. एस. के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी और जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल. ए.सी.आई. के अन्तर्गत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिए भी एन.आई. एस. प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिखण संस्थान उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान क व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसकी ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे:

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षण कराना।
2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिए डायट स्टॉफ की क्षमता का विकास करना।
3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना।
4. जिले स्तर की शिखा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/निष्कर्षों की जानकारी सर्द सम्बन्धित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।
5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्ग दर्शन देना।
6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया–कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।
7. जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना

तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आंकड़ों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12. शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0 सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड)

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात् एवं उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण अकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे–ग्राम शिक्षा समिति, स्वयं सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक

शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप सें परिचालित किया जायेगा। सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिर्धारित हैं। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी संयुक्त खाता खुला है, जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा–जोखा रखने के वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एवं प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनाये जायेंगे, तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय–समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खाते पूर्व से ही संचालित है। जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय का प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विव२ण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

सम्प्रेक्षण व्यवस्था

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे–जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डैन्ट

आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे–जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा। राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय–समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा और कमियों का निराकरण करते हुए सुधार किया जायेगा। प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराइज्ड पी.एम.आई.एस. रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्य–योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथा आवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेंगे।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाईयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठिया का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के ।। रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। **अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।**
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005-06 में 07 ..... प्राथमिक एवं 07 ..... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	300	
2005-06	200	
2006-07	100	
योग	600	

कुल लक्ष्य 600 का है।

Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0.00
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0.00
Q 1.10	ABSA/SDI Trg (/person for 5 days)	0.07	0	0.00
Q2	IED Provision for disable children	1.2	1191	1429.20
Q2.1	IED Medical Assessement	2.3	0	0.00
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0.00
Q2.3	Funds for NGO's	300	0	0.00
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0.00
Q2.5	Support Services	5	0	0.00
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0.00
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th /batch of 32 teachers	17.2	0	0.00
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0.00
Q2.9	Parents Counselling and IEP formation	10	0	0.00
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0.00
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0.00
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.9	0	0.00
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0.00
Q3	AWPB Review & Trg. Of Prg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0.00
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0.00
Q5	Teacher Learning Material		0	
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	210	105.00
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1469	734.50
Q5.3	Free Text book PS	0.05	5850	292.50
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	69745	10461.75
Q5.5	School Library	0.15	0	0.00
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0.00
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0.00
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0.00
Q5.9	Schools Awards	25	0	0.00
	QUALITY Sub Total		0	14361.80
C	CAPACITY BUILDING		0	
C1	DIET Capacity Building		0	
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	80	0	0.00
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0.00
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0.00
C1.4	Educational Tour & Survey	20	0	0.00
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0.00
C1.6	Hiring	25	0	0.00
C1.7	POL and Maintenance of Vhicle	80	0	0.00
C1.8	Seminar	200	0	0.00
C1.9	Research/Action Research	200	0	0.00
C1.10	Exposure Visit	50	0	0.00
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0.00
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0.00
C1.13	Consumables/Computer Stationery	20	0	0.00
C1.14	Contingency	50	0	0.00
C2	Block Resource Center		0	
C2.1	Civil Construction	800	0	0.00
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0.00
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @18 for 12 mths	5.5	0	0.00
C2.4	Chaukidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0.00
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0.00
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	21	126.00
C2.7	Mantenace of Equipment	2	0	0.00
C2.8	Mantenace of Building	10	0	0.00
C2.9	TLM(per center)	5	21	105.00
C2.10	Consumables	5.0	0	0.00
C2.11	Contigency	12.5	21	262.50
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinator/meeting	0.3	0	0.00
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0.00
C3	School Complex (NPRC)		0	0.00
C3.1	Construction	70	0	0.00
C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0.00
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0.00
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	218	218.00
C3.4	Contingency	2.5	218	545.00
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	218	523.20
C4	Distrct Project Office Management		0	2280.00
C4.1	Staffing		0	0.00
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0.00
C4.3	Salary of AE	15	0	0.00
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0.00
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0.00
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0.00
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month:	18	0	0.00
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0.00
C4.9	Consumeables	40	0	0.00
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0.00
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0.00
C4.12	Pay to JE	10	0	0.00
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0.00
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0.00
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	325	455.00
C4.16	Contingency	100	0	0.00
C4.17	AWP & B	10	0	0.00
	Total		0	4514.70
C5	MIS		0	244.00
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0.00
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0.00
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0.00
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0.00
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0.00
C5.6	Computer Software	20	0	0.00
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0.00
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0.00
C5.9	Maint. of Equip & Consumables	20	0	0.00
C5.10	Computer Consumable	25	0	0.00
C5.11	Training Of Computer Staff	10	0	0.00
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0.00
	CAPACITY Sub Total		0	4758.70
	GRAND TOTAL		0	103115.50

PROJECT COST
Annual Work Plan and Budget - 2003-04
Jaunpur

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2003-2004	
		Cost	Phy	Fin
A	ACCESS			
A1	New Primary School Unserved	258	0	0.00
A2	New Upper Primary Schools	451	43	12040.00
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	8	0	0.00
A4	Salary of Asst. Teacher(...) in new school (2001-02/02-03)	10	111	13320.00
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04	2.25	0	0.00
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04	8	0	0.00
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) ... (six months)	10	129	7740.00
A8	Teaching Learning Equipment		0	
A8.1	PS	10	0	0.00
A8.2	UPS	50	43	2150.00
A9	TLE UPS not covered OBB	50	0	0.00
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0.00
	Total		0	35250.00
	Interventions for out of school children		0	
A11	Alternative Schools		0	
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.845	0	0.00
A11.2	Honrane	1	0	0.00
A11.3	Training	1.5	0	0.00
A11.4	Contingency	0.468	0	0.00
A11.5	Equipment	1.76	0	0.00
A11.6	Adm. & Management Cost	6.056	0	0.00
A12	AIE/ Primary-including all models of OPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.845	0	0.00
A13	AIE Upper Primary	1.2	42	1512.00
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0.00
A15	Bridge/Remedial course PS	180	1	180.00
A16	Bridge Course at NPRC level	0.845	218	7368.40
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.35	0	0.00
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0.00
	ACCESS Subtotal		0	44310.40
R	RETENTION		0	
R1	Reconstruction - PS	191	0	0.00
R2	Reconstruction - UPS	383	13	4979.00
R3	Additional Classrooms		0	
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0.00
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	18	1260.00
R4.1	Toilets Upper Primary	10	13	130.00
R4.2	Toilets Primary	10	0	0.00
R5.1	Drinking Water Primary	15	0	0.00
R5.2	Drinking Water Upper Primary	15	0	0.00
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	2027	10135.00
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	288	1440.00
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0.00
R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0.00
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0.00
R7.4	Salary of Fresh SM(PS)	2.25	0	0.00
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	1151	15538.50
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	26	52.00
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	475	950.00
R12	Promoting Girls Education		0	0.00
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0.00
R12.2	MCDA	75	0	0.00
R12.3	Meena Manch	4	0	0.00
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0.00
R12.5	Trg /Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0.00
	Opening of ECCE centers		0	
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0.00
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	
R13.2	TLM(per center)	5	0	0.00
R13.3	Additional Honr. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.375	0	0.00
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0.00
R13.5	Training		0	
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0.00
R16	Community Mobilization		0	
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0.00
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0.00
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day	0.48	0	0.00
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0.00
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0.00
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	0.00
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	40	10	5000.00
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0.00
	RETENTION Sub Total		0	39484.50
Q	QUALITY IMPROVEMENT		0	
Q1	Training Programmes		0	
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0.00
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	0	0.00
Q1.3	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	260	364.00
Q1.4	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) UPS	1.05	1119	1174.95
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0.00
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0.00
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0.00

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	0	0.00	0	0	7	1792	0	0	7	1792
A2	New Upper Primary Schools	451	37	16687	43	12040.00	0	0	7	1960	0	0	87	30687
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	111	9180	111	13320.00	111	13320	111	13320	111	13320	555	62460
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	0	0.00	0	0	7	173.25	7	173.25	14	346.5
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	0	0.00	0	0	7	756	7	756	14	1512
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	129	7740.00	129	15480	150	18000	150	18000	558	59220
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0		0	
A8.1	PS	10	0	0	0	0.00	0	0	7	70	0	0	7	70
A8.2	UPS	50	55	2750	43	2150.00	0	0	7	350	0	0	105	5250
A9	TLE UPS not covered OBB	50	0	0	0	0.00	30	1500	0	0	0	0	30	1500
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		0	**28617**	0	**35250.00**	0	**30300**	0	**36421.25**	0	**32249.25**	0	**162837.5**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0		0	0
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0		0	0
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0.00	217	4584.125	292	6168.5	292	6168.5	801	16921.125
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost / AIE Primary/all during all models of DPEP(per child) - Shiksha	6.06	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	0	0.00	40	845	48	1014	48	1014	136	2873
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	42	1512.00	42	1512	42	1512	42	1512	168	6048
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0.00	44	2640	44	2640	22	1320	110	6600
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180.00	2	360	2	360	2	360	7	1260
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	218	7368.40	169	5712.2	169	5712.2	169	5712.2	725	24505
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0.00	15	230.25	15	230.25	15	230.25	45	690.75
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0.00	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**28617.00**	0	**44310.40**	0	**46433.58**	0	**54308.20**	0	**48816.20**	0	**222485.38**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0		0	
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	13	4979.00	0	0	0	0	0	0	13	4979
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0		0	
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0.00	340	23800	344	24080	349	24430	1033	72310
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	15	1050	18	1260.00	0	0	0	0	0	0	33	2310
R4.1	Toilets Upper Primary	10	14	140	13	130.00	0	0	0	0	0	0	27	270
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	0	0.00	300	3000	200	2000	100	1000	600	6000
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	2027	10135.00	2027	10135	2027	10135	2034	10170	8115	40575
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	288	1440	288	1440.00	296	1480	296	1480	303	1515	1471	7355
R7.1	Salary of Add' Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0.00	1023	98208	1129	108384	1237	118752	3389	
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	1151	15538.50	1130	27967.5	109	2697.75	111	2747.25	2501	48951
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	28	52.00	2051	4102	2058	4116	2058	4116	6193	12386
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	268	576	475	950.00	597	1194	604	1208	604	1208	2568	5136
R12	**Promoting Girls Education**		0	2438	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	2438
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0.00	44	198	44	198	22	99	110	495
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0.00	5	375	5	375	5	375	15	1125
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0.00	244	6100	244	6100	244	6100	732	18300
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0.00	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
	Opening of ECCE centers		0	0	0		165		165		165		495	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		165		165		165		495	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0.00	165	825	165	825	165	825	495	2475
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0.00	165	618.75	165	618.75	165	618.75	495	1856.25
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0.00	165	247.5	0	0	0	0	165	247.5
R13.5	Training		0	0	0		165		0		0		165	
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0		0	
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0.00	700	1960	1000	2800	623	1744.4	2323	6504.4
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0.00	218	1090	218	1090	218	1090	654	3270
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0.00	1517	728.16	1517	728.16	1517	728.16	4551	2184.48
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0.00	44	1100	44	1100	44	1100	132	3300
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0.00	1	5	1	5	1	5	3	15
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	711	0	0.00	218	14540.6	218	14540.6	218	14540.6	654	44332.8
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	10	5000.00	5	300	5	300	5	300	25	5900
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0.00	2323	5807.5	2323	5807.5	2323	5807.5	6969	17422.5
	RETENTION Sub Total		0	**6356**	0	**39484.60**	0	**232270.7**	0	**245044.91**	0	**256426.56**	0	**779580.63**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0		0	
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0		0	
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	0	0.00	1023	2148.3	114	239.4	109	228.9	1246	2616.6
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	153	321.3	0	0.00	1023	2148.3	134	281.4	108	226.8	1418	2977.8
Q1.3	In-service Teachers Trg (/peison for 20 days) HT + AT for PS	1.4	855	1197	260	364.00	7776	10886.4	7889	11044.6	7997	11195.8	24777	34687.8
Q1.4	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	1119	1174.95	1714	1799.7	1735	1821.75	1735	1821.75	6303	6618.15
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0.00	1151	1611.4	1720	2408	2827	3957.8	5698	7977.2
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0.00	63	44.1	63	44.1	63	44.1	189	132.3
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0.00	218	152.6	218	152.6	218	152.6	654	457.8
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0.00	84	117.6	84	117.6	84	117.6	252	352.8
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0.00	31	10.85	31	10.85	31	10.85	93	32.55
Q2	IED Provision for disable children	1.2	2071	828	1191	1428.20	3475	4170	3475	4170	3475	4170	13687	14767.2
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0.00								
Q2.11	*Extra Curricular Activities*	20	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0.00	1	2.5	1	2.5	1	2.5	3	7.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0.00	1	2	1	2	1	2	3	6
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0		0	
Q5.1	Teacher grant *(Teachers+Shiksha Mitra)*	0.5	0	0	210	105.00	10397	5198.5	10764	5382	10981	5490.5	32352	16176
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1008	504	1469	734.50	1918	959	1939	969.5	1939	969.5	8273	4136.5
Q5.3	*Free Text book PS*	0.05	0	0	5850	292.50	311406	15570.3	317821	15891.05	324366	16218.3	959443	47972.15
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	96484	14472.6	69745	10461.75	98487	14773.05	99964	14994.6	101463	15219.45	466143	69921.45
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0.00	2411	361.65	2411	361.65	2411	361.65	7233	1084.95
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0.00	75	3.75	75	3.75	75	3.75	225	11.25
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0.00	2035	30525	2035	30525	2035	30525	6105	91575
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0.00	376	2820	376	2820	376	2820	1128	8460
Q5.9	School Awards *(Academic Olympiad)*	25	0	0	0	0.00	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0	**17322.9**	0	**14561.90**	0	**93355**	0	**91292.35**	0	**93588.85**	0	**310121**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0		0	
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0		0	
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	*Educational Tour & Survey*	26	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	*Travelling Allowance*	50	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0.00	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0.00	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0.00	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0.00	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0.00	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	*Salary of Driver (where applicable)*	4	0	0	0	0.00	1	48	1	48	1	48	3	144
C1.13	*Consumable/Computer Stationary*	20	0	0	0	0.00	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0.00	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0		0	
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0.00	21	3024	21	3024	21	3024	63	9072
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0.00	21	1386	21	1386	21	1386	63	4158
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0.00	21	756	21	756	21	756	63	2268
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	*Travelling Allowance & Meetings*	6	0	0	21	126.00	21	126	21	126	21	126	84	504
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0.00	21	42	21	42	21	42	63	126
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0.00	21	210	21	210	21	210	63	630
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	21	105.00	21	105	21	105	21	105	84	420
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0.00	21	105	21	105	21	105	63	315
C2.11	Contigency	12.5	0	0	21	262.50	21	262.5	21	262.5	21	262.5	84	1050
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0.00	21	75.6	21	75.6	21	75.6	63	226.8
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0.00	22	110	22	110	22	110	66	330
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C3 3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	218	218.00	218	218	218	218	218	218	872	872
C3.4	Contingency	2.5	0	0	218	545.00	218	545	218	545	218	545	872	2180
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	218	523.20	218	523.2	218	523.2	218	523.2	872	2092.8
C4	District Project Office/Management		0	1136	0	2280.00	0	0	0	0	0	0	0	3416
C4.1	**Staffing**		0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0.00	8	1440	8	1440	8	1440	24	4320
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0.00	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0.00	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0.00	8	80	8	80	8	80	24	240
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0.00	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0.00	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0.00	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0.00	1	120	1	120	1	120	3	360
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0.00	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0.00	2035	2849	2035	2849	2035	2849	6105	8547
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	343	480.2	325	455.00	376	526.4	376	526.4	376	526.4	1796	2514.4
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0.00	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0.00	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	1616.2	0	4614.70	0	45127.7	0	45127.7	0	45127.7	0	141514
C5	MIS		0	0	0	0.00	0		0		0		0	
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	0	244.00	0	0	0	0	0	0	0	244
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0.00	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0.00	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0.00	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0.00	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0.00	1	30	1	30	1	30	3	90
C5 8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0.00	1	40	1	40	1	40	3	120
C5 9	Maint. of Equip & Consumables	20	0	0	0	0.00	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0.00	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0.00	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0.00	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	1616.2	0	4758.70	0	45551.7	0	45551.7	0	45551.7	0	143030
	GRAND TOTAL		0	53911.1	0	103115.50	0	417610.94	0	436197.16	0	444382.31	0	1455217.01

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention													Jaunpur
			2002-03		2003-04		20004-05		2005-06		2006-07		Total
Civil			17877.0		18409.0		26800.0		29832.0		25430.0		118348.0
Management			480.2		455.0		5939.4		5939.4		5939.4		18997.4
Programme			35553.9		84251.5		384871.5		400425.8		413012.9		1317871.6
Total			53911.1		103115.5		417610.9		436197.2		444382.3		1455217.0
Percentage - Civil			33.2		17.9		6.4		6.8		5.7		8.1
Percentage - Management			0.9		0.4		1.4		1.4		1.3		1.3
Percentage - Programme			65.9		81.7		92.2		91.8		92.9		90.6
Percentage - Total			100		100		100		100		100		100